

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्राहायण 11, 1927

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 559

No. 175]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

[N.C.T.D. No. 559

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2005

सं. फा. 11/3/2004/अ.नि./गृ.पु.-II/6425.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या यू.-11011/2/74-यू.टी.एल (i) दिनांक 20 मार्च 1974, के साथ पठित उक्त प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 24(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित सहायक लोक अभियोजकों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं. नाम

1. मो. जफर खान
2. मो. इकरार
3. सुश्री एस. के. बनेजा
4. सुश्री सुपमा बघवार
5. श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव
6. श्री मसूद अहमद
7. श्री एस. के. सोनी
8. श्री सुखवीर सिंह

9. श्री प्रबोध कुमार वर्मा
10. श्री आई. यू. एच. सिद्धकी
11. श्री अशोक कुमार (अनु. जा.)
12. श्री आर. के. तिवर (अनु. जा.)
13. श्री धरम चन्द्र (अनु. जा.)

उपरोक्त अधिकांती से चने की अवधि के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

विनय कुमार, उप सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd December, 2005

No. F. 11/03/04/DOP/HP-II/6425.—In exercise of the powers conferred by Section 24(3) of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated 20th March 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Assistant Public Prosecutors to the post of Additional Public Prosecutors in the Directorate of Prosecution, Government of the National Capital Territory of Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13500:—

S.No.	Name
1.	Mohd. Zaffar Khan
2.	Mohd. Iqbal
3.	Ms. S. K. Baweja
4.	Ms. Sushama Badhwar
5.	Sh. Ajit Kumar Shrivastava
6.	Sh. Masood Ahmad
7.	Sh. S. K. Soni
8.	Sh. Sukhbeer Singh
9.	Sh. Prabodh Kumar Verma
10.	Sh. I.U.H. Siddiqui
11.	Sh. Ashok Kumar (SC)
12.	Sh. R. K. Tanwar (SC)
13.	Sh. Dharam Chand (SC)

The officers will remain on probation for a period of two years.

By Order and in the Name of the Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Dy. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2005

सं. फा. 23(3)/96-पीपीआर/भाग-IV/1770.—
अधिसूचना फा. 23(3)/96-पीपीआर/पीएफ-IV/1471 दिनांक
17-8-2005, फा. 22(225)/2001/पॉलिसी/1457 दिनांक 17-8-2005
और फा. 23(3)/96-पॉलिसी/Vol. IV/1637 दिनांक 4-10-2005 के
क्रम में दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के अंतर्गत रजिस्टर्ड
व्यापारी द्वारा कर प्रपत्र एस टी-11ए में और दिल्ली निर्माण कार्य संविदा
बिक्री कर अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी/ठेकेदार
द्वारा फॉर्म XIII में निर्धारण वर्ष 2004-05 हेतु विवरणी को जमा करने
की अंतिम तिथि 31-12-2005 होगी।

अन्य निर्धारित शर्तें अधिसूचना दिनांक 17-8-05 के अनुसार
रहेंगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd December, 2005

No. F. 23(3)/96-Policy/Vol. IV/1770.—In
continuation of the Notifications No. F. 23(3)/96 PPR/
PF-IV/1471 dated 17-8-2005, F. 22(225)/2001/Policy/1457
dated 17-8-2005 and F. 23(3)/96 Policy/Vol. IV/1637 dated
4-10-2005 the last date for filing of Statement in Form ST-
11A by the dealers registered under Delhi Sales Tax Act,
1975 and Form XIII by the dealers/works contractors

registered under the Delhi Sales Tax on Works Contract
Act, 1999 for the assessment year 2004-05 shall be 31-12-
2005.

Other conditions of the respective Notifications
dated 17-8-2005 will remain unchanged.

This notification shall come into force with immediate
effect.

सं. फा. 4(3)/पी.-II/वैट/अधिसूचना/2005/1158.—दिल्ली
मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2004 (यहां बाद में "उक्त अधिनियम"
के रूप में उल्लिखित) की धारा 85 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए मैं, आर. के. वर्मा, आयुक्त, मूल्य संबंधित कर एतद्वारा
स्पष्ट करता हूँ कि :—

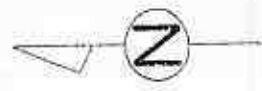
1. डी वैट योजना में उत्पादन तथा वितरण शृंखला में विभिन्न
स्तरो पर कर लगाने तथा पूर्व स्तरों पर भुगतान किए गए
करों के लिए प्रतिलुप्त की अनुमति पर विचार किया
गया है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से भिन्न
जिसमें व्यापारी द्वारा अपनी शाखा या अपने एजेंट को
बिक्री के अतिरिक्त अन्य तरीके से वस्तुओं के हस्तांतरण
की व्यवस्था है, दिल्ली में मूल्य संबंधित कर, 2004 में
कर के भुगतान के बिना शाखा या एजेंट को वस्तुओं के
अन्तराज्यीय हस्तांतरण का समान प्रावधान नहीं है।
डी वैट अधिनियम के अन्तर्गत वह एजेंट जिसे प्रेषण
आधार पर सामान हस्तांतरित किया गया है वे "व्यापारी"
की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तथा किसी एजेंट को
क्षतिपूर्ति के लिए सामान का हस्तांतरण चाहे वह अंतिम
रूप से प्राप्त हुआ हो या वस्तुओं की बिक्री के
परिणामस्वरूप हो उसे बिक्री के समान समझा जाएगा
तथा तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा। तथापि
एजेंट मूल में प्रदत्त करों के लिए निवेश कर क्रेडिट का
दावा करने के लिए सक्षम होगा। कर भुगतान के बिना
प्रेषण पर दिल्ली में किसी एजेंट को वस्तुओं के समस्त
अन्तराज्यीय हस्तांतरण डी वैट अधिनियम, 2004 के
उपबंधों के अधीन जोड़ने की अनुमति नहीं है तथा ऐसी
अन्तराज्यीय हस्तांतरण बिक्री की परिभाषा के अंतर्गत
आते हैं तथा डी वैट अधिनियम के लागू होने की तारीख
से डी वैट अधिनियम, 2004 में निहित उपबंध के अनुसार
कर के लिए उत्तरदायी है।

2. किसी व्यापारी द्वारा उसके अपने व्यापार स्थल से दूसरे
व्यापार स्थल में दिल्ली में वस्तुओं का स्थानांतरण बिक्री
नहीं है तथा कर योग्य नहीं है यद्यपि कि दिल्ली में व्यापार
के समस्त व्यापार स्थल डी वैट अधिनियम, 2004 के
अधीन व्यापारी के एकल पंजीकरण के अंतर्गत हैं तथा
व्यापारी एक क्षेत्राधिकार में एकल रिटर्न प्रस्तुत करता है।

3. तथापि, यदि शाखा एक स्वतंत्र व्यापारियों के रूप में
पंजीकृत हो उस स्थिति में ऐसी एक शाखा द्वारा दूसरी
शाखा को हस्तांतरण एक प्रिंसिपल द्वारा दूसरे प्रिंसिपल
को हस्तांतरण है तथा ऐसा हस्तांतरण बिक्री की परिभाषा

DABRI

TO PANKHA ROAD



PALAM DRAIN

PALAM DABRI ROAD

VAISALI

VAISALI

DABRI EXTENSION

NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ. FT.)	REMARKS
1	RESIDENTIAL AREA	10000	
2	COMMERCIAL AREA	5000	
3	INDUSTRIAL AREA	2000	
4	OPEN SPACE	1000	
5	ROADS	500	
6	DRAINS	100	
7	UTILITIES	50	
8	OTHERS	50	
9	TOTAL	14150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

34/4/1964-5

के अन्तर्गत आता है तथा तदनुसार उस पर कर लगाया जाए।

4. अधिसूचना दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के प्रभाव होने की तारीख से प्रभावी होगी।

आर. के. वर्मा, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

No. F. 4(3)/P-II/VAT/Noti./2005/1158.—In exercise of the powers conferred under Section 85 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as "the said Act"), I, R. K. Verma, Commissioner, value Added Tax, do hereby clarify that :—

1. The scheme of DVAT envisages taxing different stages in the production and distribution chain and allows set off for taxes paid at the earlier stages. Unlike the Central Sales Tax Act, 1956 wherein there is provision for transfer of goods by the dealer to his branch or his agent otherwise than by way of sale. In Delhi Value Added Tax 2004 there is no similar provision for intra-state transfer of goods to the branch or an agent without payment of tax. Under the DVAT Act, even an agent to whom goods are transferred on consignment basis are covered under the definition of "dealer" and transfer of goods to an agent for consideration, whether received in advance or subsequently on conclusion of sale of goods shall amount to sale and shall be taxed accordingly. However, the agent shall be eligible to claim input tax credit for taxes paid to the principal. To sum-up all intra-state transfer of goods to an agent within Delhi on consignment without payment of tax is not allowed under the provisions of DVAT Act, 2004 and such intra-state transfers are covered under the definition of sale and are liable to tax as per provision contained in DVAT Act, 2004 from the day the DVAT Act came into force.
2. Transfer of goods by a dealer from his one place of business to another place of business within Delhi is not sale and is not to be taxed provided all the places of business of the dealer within Delhi are covered in dealer's single registration under the DVAT Act, 2004 and the dealer is filing one single return in one jurisdiction.
3. However, in case the branches are registered as independent dealers, a transfer by one such branch to another branch is transfer by one principal to another principal and such

transfers are covered under the definition of sale and to be taxed accordingly.

4. The notification shall be treated as effective from the date the Delhi Value Added Tax Act came into effect.

R. K. VERMA, Commissioner (Value Added Tax)

उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2005

सं. एफ 1/सी.आई./नीति/इनसीटू./करावल नगर/ 2005/001/545.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग चाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं सीलमपुर, उपमहलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर करावल नगर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जाएगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—इन

पश्चिम—पश्चिमी करावल नगर

उत्तर—मुकुन्द विहार

दक्षिण—बिहारी पुर (के नगर एक्स.)

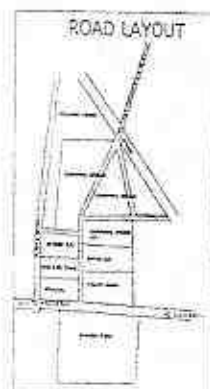
अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाइयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थायी निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी

वित्तकी सच्चा अधोलक्ष्यी की देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बंद किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे

पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लॉट के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।



MUKAND VIHAR

[illegible]

WEST KADAWANZARIN

BIHARI PUR

KARAWALNAGAR EXT

LOGGERS					
HAY FIELDS					
WOLF PENN FOLD					
FLEETING BOLS					
TREE					
REFUGEE AREA					
INDUSTRIAL AREA					
PASWAY LINE					
CIVILIAN AREA					
OPEN AREA					
HOUSING AREA					
FIELD					
AERIAL PHOTOGRAPH					

[illegible]

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) 'समग्रपुर वादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

'न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ले गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

3474 DG/05—3

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रख-रखाव के लिए सोसायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लैट एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों की डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिरक्षण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाता है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पायाम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग कसथी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु चिन चार्जद्वारी के फ्रंट सेट ब्रेक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

* लोडिंग, भंडारण, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को हटाना:—

(क) फायरिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/बचाव जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल

बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल विकास योजना।

(vii) पाकौ/ग्रोन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा-की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लेट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी प्लेट/अंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार नसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपाद (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे व्यक्ति बंद कर दिए जाएंगे। गैर-सामग्री में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक गतिविधियों के लाइसेंस या नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के. 13011/5/2000-डीडीआइए।]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd December, 2005

No. F. 1/C.I/Policy/INSITU/Karawal Nagar/2005/001/545.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development

(Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001,

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Karawal Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries

East—Drain

West—West Karawal Nagar

North—Mukund Vihar

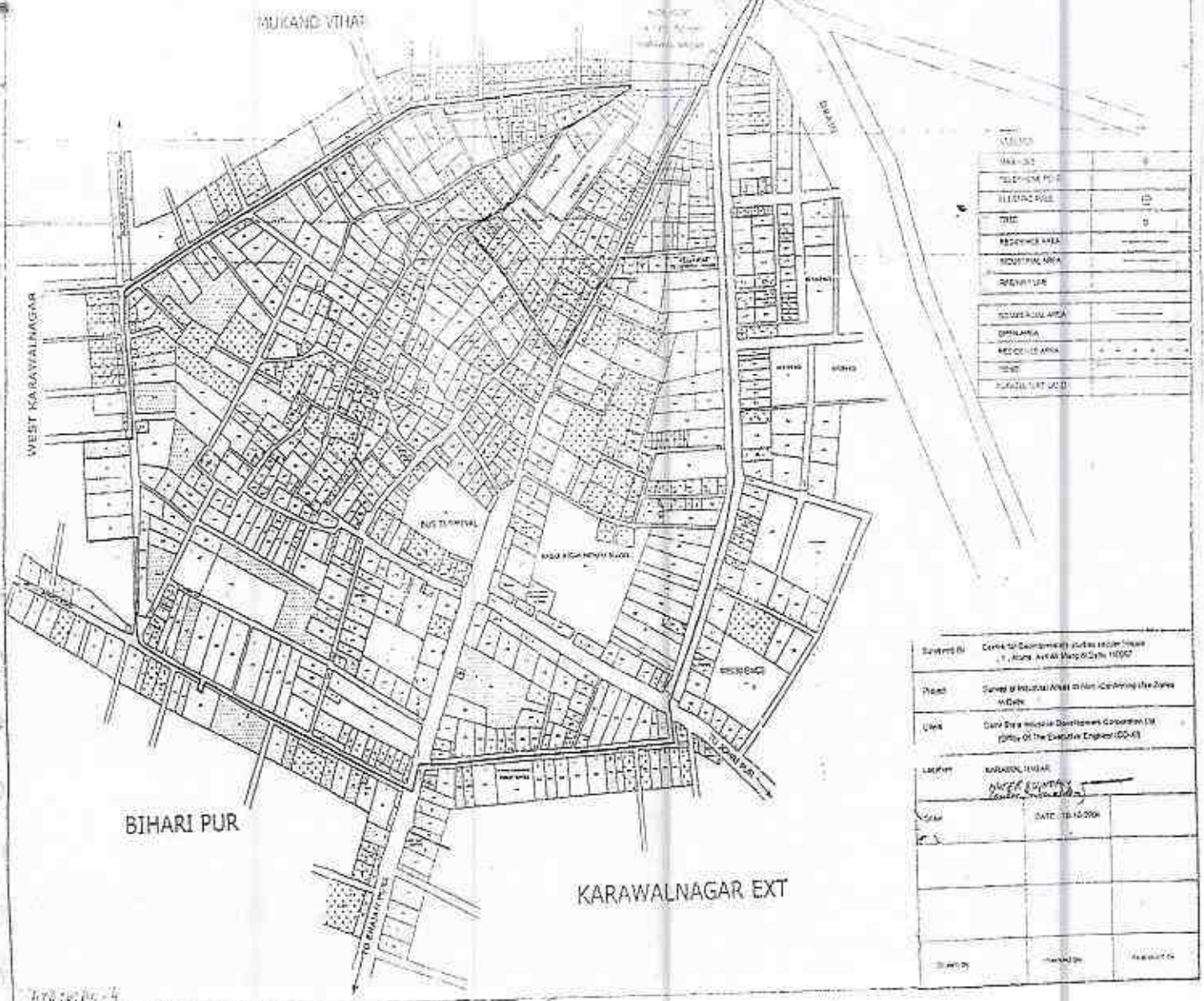
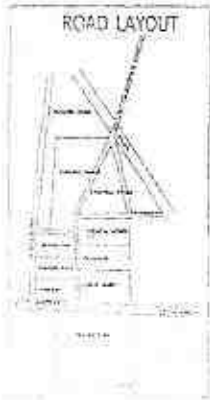
South—Bihari Pur (K. Nagar Ext.)

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

KARAWAL NAGAR



AREA	
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10
INDUSTRIAL AREA	10
RESIDENTIAL AREA	10

Surveyed By	Centre for Development and Research in Urban Planning and Design, New Delhi
Project	Survey of Industrial Areas in New Delhi
Work	Survey of Industrial Areas in New Delhi
Location	KARAWAL NAGAR
Date	DATE: 10/10/2008
By	
Checked by	
Approved by	

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001:

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

*Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of atleast 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms;
- preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DIB/Central Ground Water Authority (wherever required) alongwith requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/ rainwater harvesting;
 - (b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/ green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, river Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ. 1/सी.आई./नीति/इनसीडू./डाबरी/2005/02/546.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का० आ० 741(अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तथ्य है उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं नक्काशे, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर डाबरी स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आसपास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व-वैशाली

पश्चिम-पालम डाबरी मार्ग

उत्तर-पालम ड्रेन

दक्षिण-डाबरी एक्स.

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थायी निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्चा अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

अनुलग्नक-ख

आधारित हो।

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित अपारित्या/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 अपारित्या/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन अपारित्यों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक प्लान निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोयायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी। वशतः पर्यावरण तथा अन्य संक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर

3474 DG/05 --- 6

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रख-रखाव के लिए सोयायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमोदित तरीकों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमोदित दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर दो औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन तथा एकत्रीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों से दिये गए कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए साइड पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदियारा के फ्रंट स्ट्रैटिक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीओ, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भू-जल पुनर्भरण/बचाव जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल विकास योजना।

(vii) पार्कों/ग्रीन बल्सर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली स्वयंशासन, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे भू-स्थलों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे:-

बंगला ज़ोन (नई दिल्ली और गांधीनगर लाइन), रिज क्षेत्र, जल (ग्रीन ओ), जलशायों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह संयंत्र, शोपराइजों, सरकारी फ्लैट/बंगले/निवेशक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य शोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार चलाएंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत से वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और वे नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना वे नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईडी]

एम. जगजी, जल अधिकारी

No. E. U.C.I./Policy/INSITU/Dabri/2005/02/ S-46

Whereas the Central Government in exercise of the

powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001-

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have:-

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/ use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DS/DC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Najafgarh, the Industrial Cluster located at Dabri (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East : Vaisali

West : Palam Dabri Road

North : Palam Drain South : Dabri Extension

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

DABRI



TO PANKHA ROAD

PALAM DABRI ROAD

PALAM DRAIN

VAISALI

VAISALI

DABRI EXTENSION



Sl. No.	Particulars	Area (Sq. Mts.)	Remarks
1.	Area of the proposed road	1.25	
2.	Area of the proposed site	1.25	
3.	Area of the existing road	1.25	
4.	Area of the existing site	1.25	
5.	Area of the proposed road and site	2.50	
6.	Area of the existing road and site	2.50	
7.	Area of the proposed road and site (Total)	5.00	
8.	Area of the existing road and site (Total)	5.00	

Sl. No.	Particulars	Area (Sq. Mts.)	Remarks
1.	Area of the proposed road	1.25	
2.	Area of the proposed site	1.25	
3.	Area of the existing road	1.25	
4.	Area of the existing site	1.25	
5.	Area of the proposed road and site	2.50	
6.	Area of the existing road and site	2.50	
7.	Area of the proposed road and site (Total)	5.00	
8.	Area of the existing road and site (Total)	5.00	

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions :

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to

facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted
 - (iv) industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
 - (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
 - (vi) Other stipulations shall include—
 - * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms.
 - * Preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DJSB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting
 - (b) Drainage plan as per norms.
 - (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks green buffer.
 - (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001. Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.
- The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme —

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ1/सो.आई./नीति/इनसीटू./हैदरपुर/2005/003/547.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह उक्त क्षेत्र कम से कम 2 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण सविधिक/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं माडल टाऊन, उपमहानगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हैदरपुर गांव करने पर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके अन्तर्गत क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 से उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

के समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—ठेके वाली गली संलग्न 229 तथा 231

पश्चिम—पश्चिमी यमुना कैनल संलग्न मंदिर तथा 14

उत्तर—डी डी ए पार्क संलग्न 36 तथा 29

दक्षिण—दिल्ली जल बोर्ड वाटर टैंक संलग्न 122 से 124

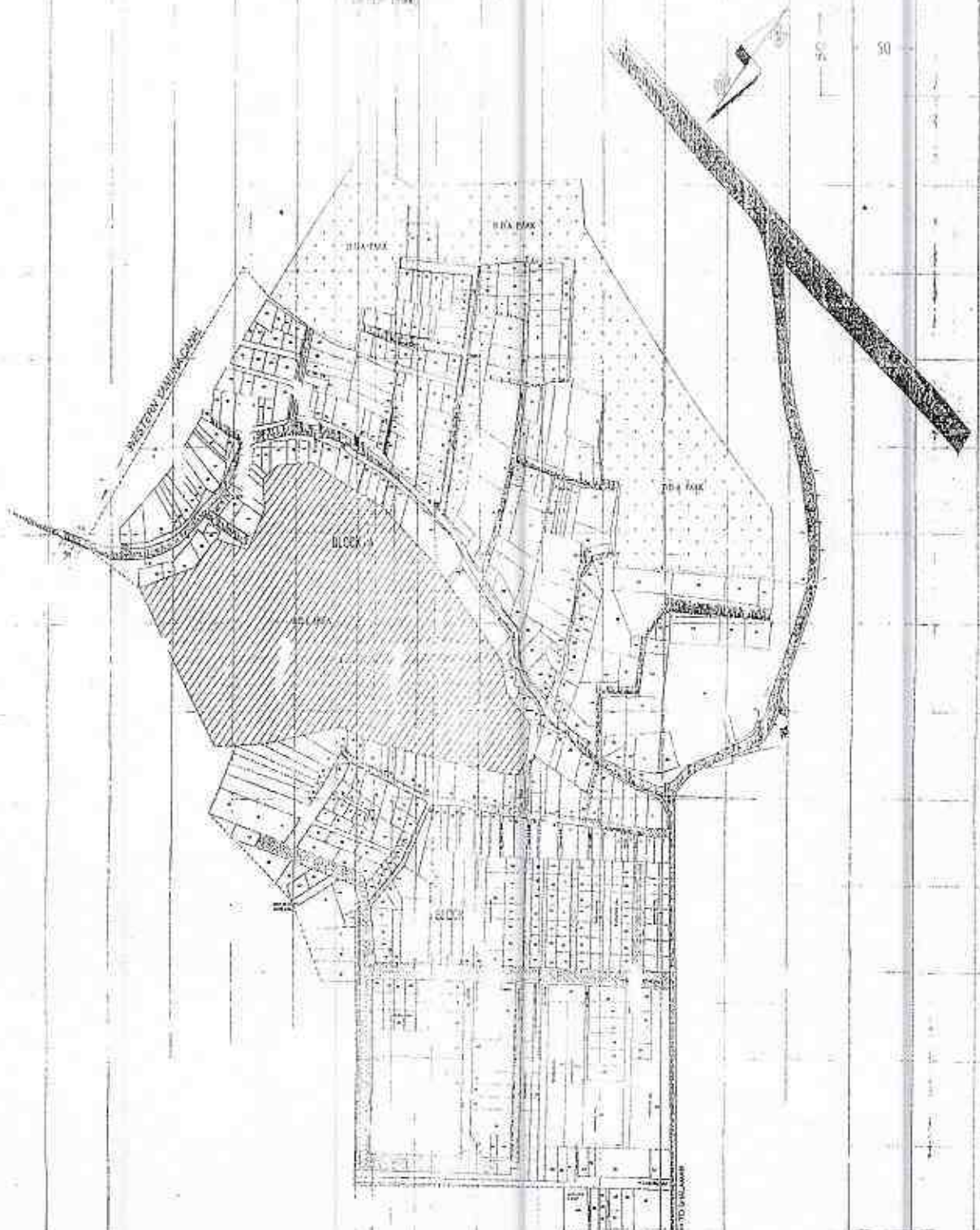
अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की प्लॉटद्वारा उद्योग भवितव्यों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोदस्ताक्षरी की देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आवंटन का लाभ उठाया है उन्हें आवंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

SURVEY PLAN OF HAIDERPUR INDUSTRIAL AREA NEW DELHI.

(PARTIAL, LOCATING AND COMPLETING)
(1:50,000 Scale)



PROJECT:- HAIDERPUR		LEGEND		CONSULTANT:-																																								
EMPLOYER:- GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF INDUSTRY		<table border="1"> <tr> <td>REVENUE</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>PLANNING</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>ENGINEERING</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>ARCHITECTURE</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>PAINTING</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>SCULPTURE</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>PHOTOGRAPHY</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>VIDEOGRAPHY</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>ANIMATION</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> <tr> <td>COMPUTER GRAPHICS</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> <td>1/100</td> </tr> </table>	REVENUE	1/100	1/100	1/100	PLANNING	1/100	1/100	1/100	ENGINEERING	1/100	1/100	1/100	ARCHITECTURE	1/100	1/100	1/100	PAINTING	1/100	1/100	1/100	SCULPTURE	1/100	1/100	1/100	PHOTOGRAPHY	1/100	1/100	1/100	VIDEOGRAPHY	1/100	1/100	1/100	ANIMATION	1/100	1/100	1/100	COMPUTER GRAPHICS	1/100	1/100	1/100	DR. S. K. GUPTA 10, GATE NO. 1, SECTOR 1, PHASE 1, HAIDERPUR INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI-110028 TEL: 2610 2021 CG: 26111704	
REVENUE	1/100	1/100	1/100																																									
PLANNING	1/100	1/100	1/100																																									
ENGINEERING	1/100	1/100	1/100																																									
ARCHITECTURE	1/100	1/100	1/100																																									
PAINTING	1/100	1/100	1/100																																									
SCULPTURE	1/100	1/100	1/100																																									
PHOTOGRAPHY	1/100	1/100	1/100																																									
VIDEOGRAPHY	1/100	1/100	1/100																																									
ANIMATION	1/100	1/100	1/100																																									
COMPUTER GRAPHICS	1/100	1/100	1/100																																									

34/450/05-5

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741 (अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डी डी ए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी वशर्त पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो:

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली राइड से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन,

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु थिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम % क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(iii) पावनीयता प्रक्रम के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(iv) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों का आधार पर डी डी ए की तकनीकी समिति मानकों में

3474DG/05—9

10% तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी ताल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आस पास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथानिर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

No. F. 1/C.I/Policy/INSITU./Haiderpur/2005/003/547.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-a of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

- (a) Minimum contiguous area of 4 Ha. and
- (b) more than 70% of the plots within the area

(industrial cluster) should be under manufacturing activity/ use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Model Town, the Industrial Cluster located at Haider Pur Village (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East : Thekewali Gali Adjacent to 229 & 231

West : Western Yamuna Canal Adjacent to Temple & 14

North : DDA Park Adjacent to 36 & 29

South : DJB Water Tank Adjacent to 122 to 124

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.



SURVEY PLAN OF HAIDERABAD INDUSTRIAL AREA NEW DELHI

ALTOCHIES, (DOORS, SLITS & CORNERS)

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur-Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

'Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan,

pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
- (vi) Other stipulations shall include—
 - * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms;
 - * preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
 - (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
 - (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority. Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ .1/सी.आई./नीति/इनसीटू./बसईदारापुर/2005/004/548.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन स्थलों में निर्माणाधीन तत्त्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग बाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पटेलनगर, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर बसईदारापुर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : औद्योगिक क्षेत्र डी एल एफ मोतीनगर

पश्चिम : ई एस आई अस्पताल, रिंग रोड

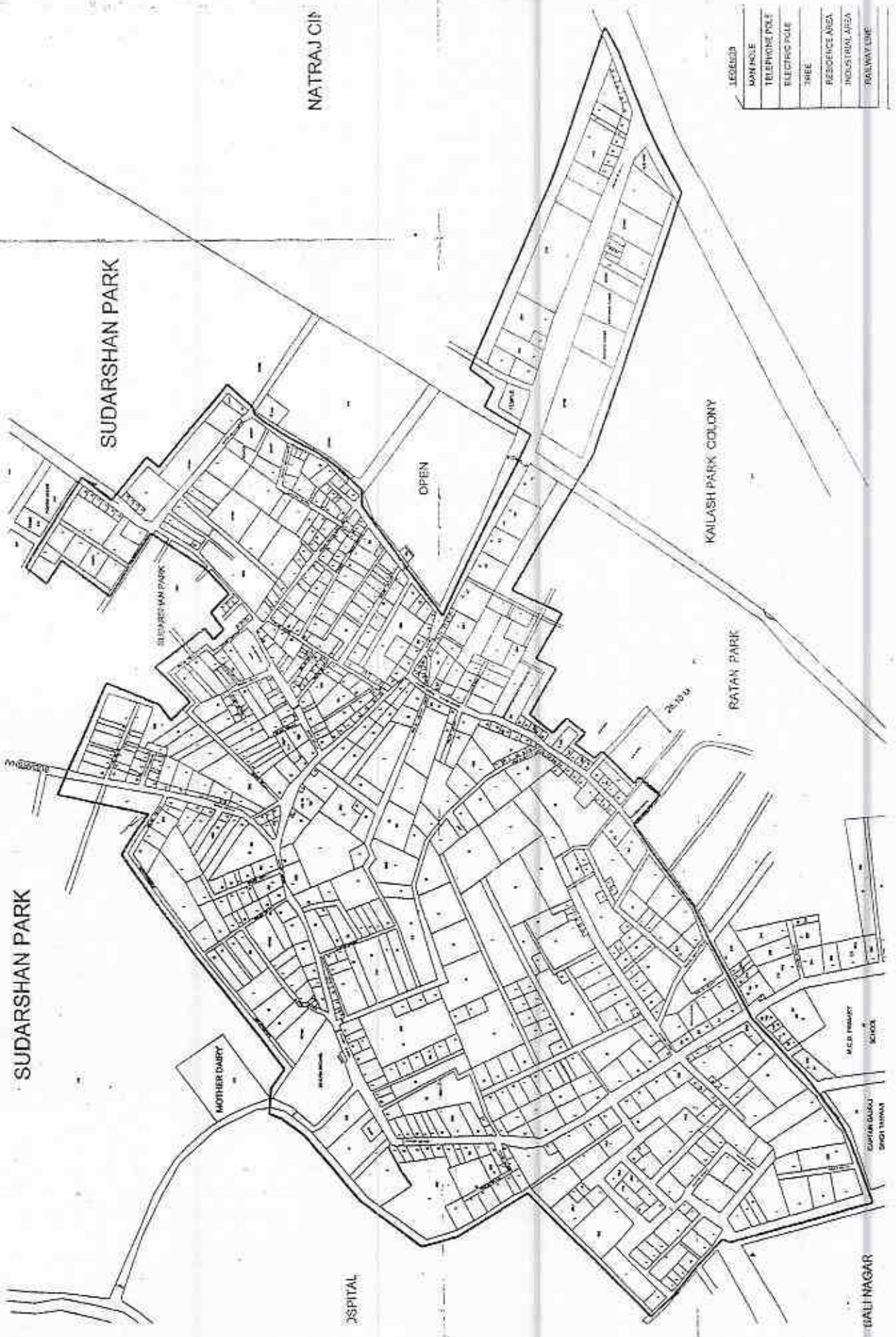
उत्तर : सुदर्शन पार्क

दक्षिण : बाली नगर

यतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की रतद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों की, जिन्होंने उद्योग को पुनःस्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।



अनुसूचक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. 0 का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बाहली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

'न्यूनतम 4 हेक्टे० सतह क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोयायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी वशर्त पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

- (i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से संधा पहुंचा जा सकेगा।

3474DG/05—12

- (ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

- (iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

- (iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर हो औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लेट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के विजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

- (vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- * न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

- * 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

- * 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

- * पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

- * 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

- * सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

- * निम्नलिखित को तैयार करना:—

- (क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षाानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

- (ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

- (vii) पार्को/ग्रीन बेल्ट के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

- (viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डी.टी.ए. की तकनीकी सीमांत मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जॉन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन 0), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लैटम, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी प्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार बसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत से वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

No. F. 1/C.1/Policy/INSITU/Basaidarapur/2005/004/548.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S.O. 741(F) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India; Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

- (a) minimum contiguous area of 4 Ha, and
- (b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Patel Nagar, the Industrial Cluster located at Basaidarapur (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East Industrial Area, DLF Moti Nagar

West ESI Hospital, Ring Road

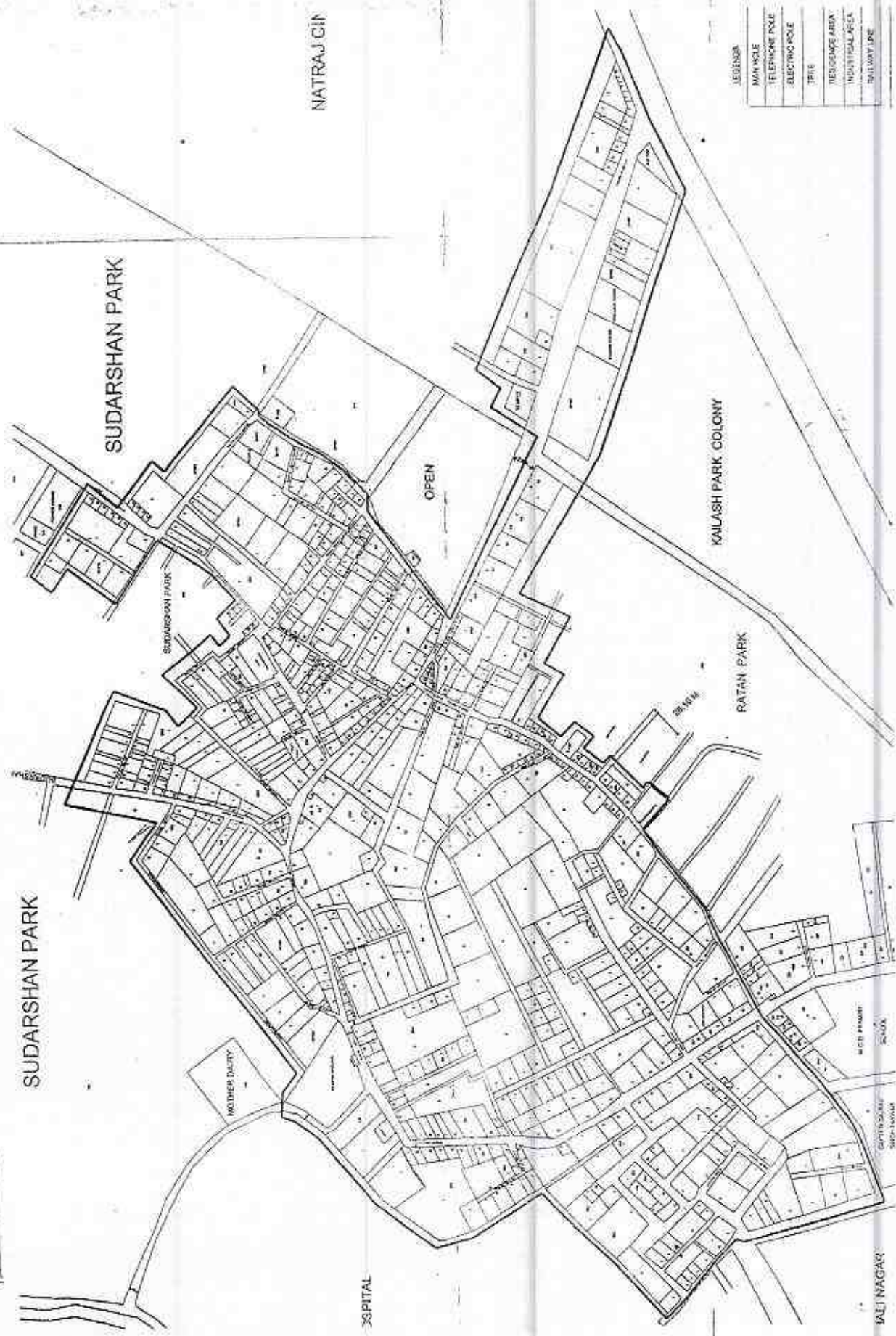
North Sudershan Park

South Bali Nagar

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.



LEGENDA

MAIN HOLE
TELEPHONE POLE
ELECTRIC POLE
TREE
RESIDENCE AREA
INDUSTRIAL AREA
RAILWAY LINE

ANNEXURE-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification No. S.O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions :

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management,

development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
 - (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
 - (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
 - (vi) Other stipulations shall include—
 - * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.
 - * Preparation of :
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) alongwith requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
 - (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
 - (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.
- Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.
- The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—
- Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, river Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/S/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./नौति/इनसोर्ट./स्वर्णपार्क मुण्डका/2005/005/549.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) का धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है :

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्लाट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हो।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पंजाबी बाग, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर स्वर्णपार्क मुंडका (नार्थ आफ रोहतक रोड रेलवे लाईन की तरफ) स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—रानी खेड़ा मार्ग साईड अंदर कालोनी

पश्चिम—शेष भाग वही कालोनी

उत्तर—रेलवे लाईन

दक्षिण—रोहतक रोड

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करना होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन या लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

PREM NAGAR

AGRICULTURAL LAND

TIMBER MARKET

PILOT AREA DETAIL

TIMBER MARKET

OTHER'S PROPERTY

LEGENDS

Symbol	Description
[Solid black]	AGRICULTURAL LAND
[Hatched]	AGRICULTURAL LAND
[Dotted]	AGRICULTURAL LAND
[Cross-hatched]	AGRICULTURAL LAND
[Diagonal lines]	AGRICULTURAL LAND
[Stippled]	AGRICULTURAL LAND
[Horizontal lines]	AGRICULTURAL LAND
[Vertical lines]	AGRICULTURAL LAND
[Wavy lines]	AGRICULTURAL LAND
[Concentric circles]	AGRICULTURAL LAND
[Star pattern]	AGRICULTURAL LAND
[Grid pattern]	AGRICULTURAL LAND
[Diagonal cross-hatch]	AGRICULTURAL LAND
[Stippled with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Horizontal wavy lines]	AGRICULTURAL LAND
[Vertical wavy lines]	AGRICULTURAL LAND
[Concentric circles with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Star pattern with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Grid pattern with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Diagonal cross-hatch with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Stippled with larger dots]	AGRICULTURAL LAND
[Horizontal wavy lines with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Vertical wavy lines with dots]	AGRICULTURAL LAND
[Concentric circles with larger dots]	AGRICULTURAL LAND
[Star pattern with larger dots]	AGRICULTURAL LAND
[Grid pattern with larger dots]	AGRICULTURAL LAND
[Diagonal cross-hatch with larger dots]	AGRICULTURAL LAND

14/7/52

1. ALL RIGHTS RESERVED
2. DEPARTMENT OF LANDS AND SURVEY
3. GOVERNMENT OF INDIA

AREA DETAIL

1. TOTAL AREA
2. TOTAL AREA
3. TOTAL AREA
4. TOTAL AREA

NORTH



D.S.I.D.C

TOPOGRAPHICAL SURVEY PLAN



Scale 1:1000
1 inch = 100 feet

34/4/52/5/14

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70 से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

3474 DG/05—15

(vii) पाकौ/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए को तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रचार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शों क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथानिर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

No. F. 1/C.1/Policy/INSITU/Swarn. P. Mundka/2005/005/ 549.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Punjabi Bagh, the Industrial Cluster located at Swarn Park, Mundka North of Rohtak Road Towards Rly. Lines (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

EAST Ranikhera Road Side Other Colony.

WEST Other left out portion of Same Colony.

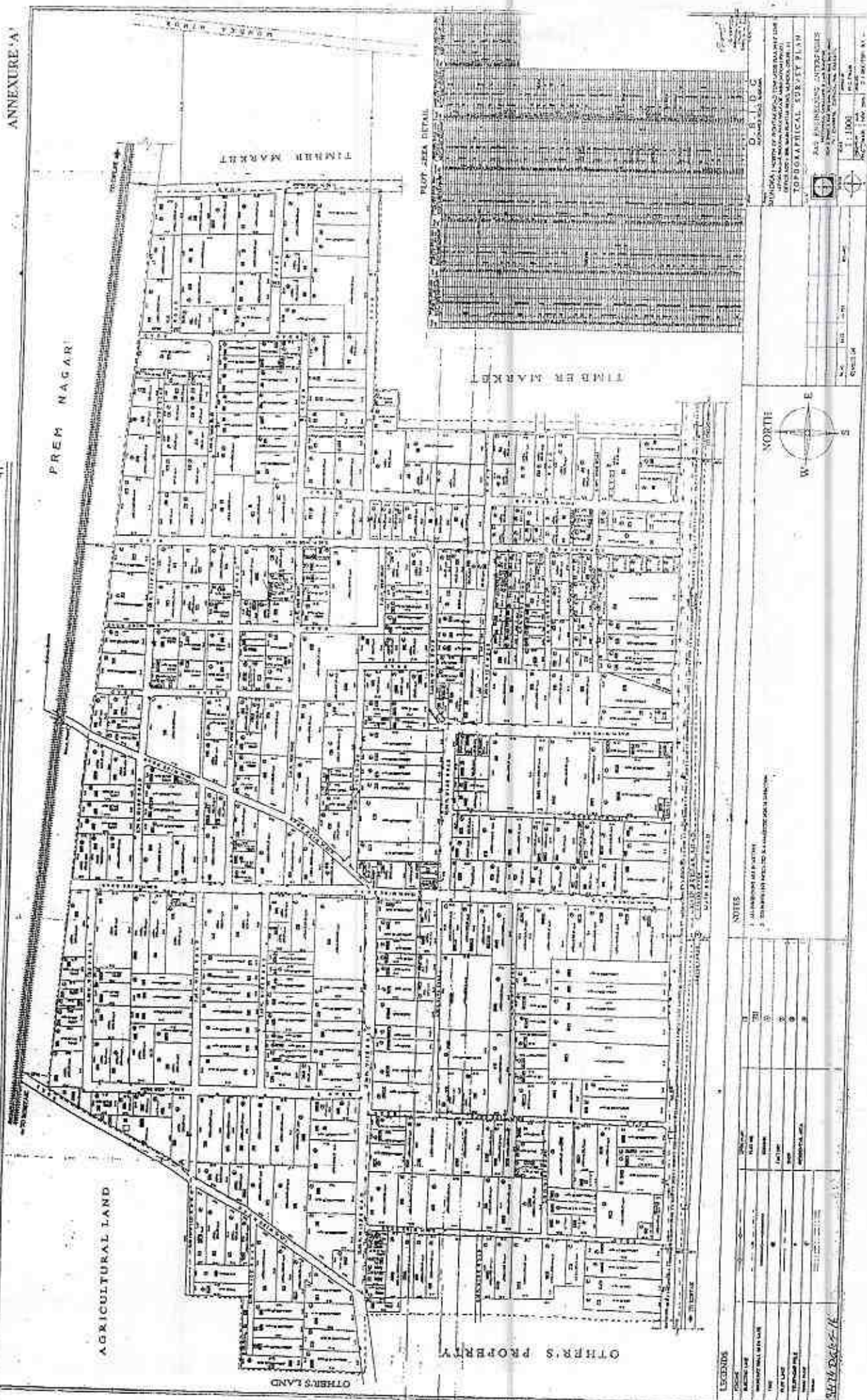
NORTH Railway Line.

SOUTH Rohtak Road.

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.



Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.

- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.
- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
- (vi) Other stipulation shall include—
 - * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms.
 - * preparation of
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
- (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

- (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, river Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, under Secy.

सं. एफ. 1/सी.आई./नीति/इनसीटू/रिठाला/2005/006/550.—
यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में

निम्नलिखित तत्त्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं सरस्वती विहार, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर रिठाला स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व प्लाजा रोड

पश्चिम नाला (गांव छोड़कर जो आबादी वाला क्षेत्र है)

उत्तर मधुवन की तरफ जाने वाला रोहिणी रोड

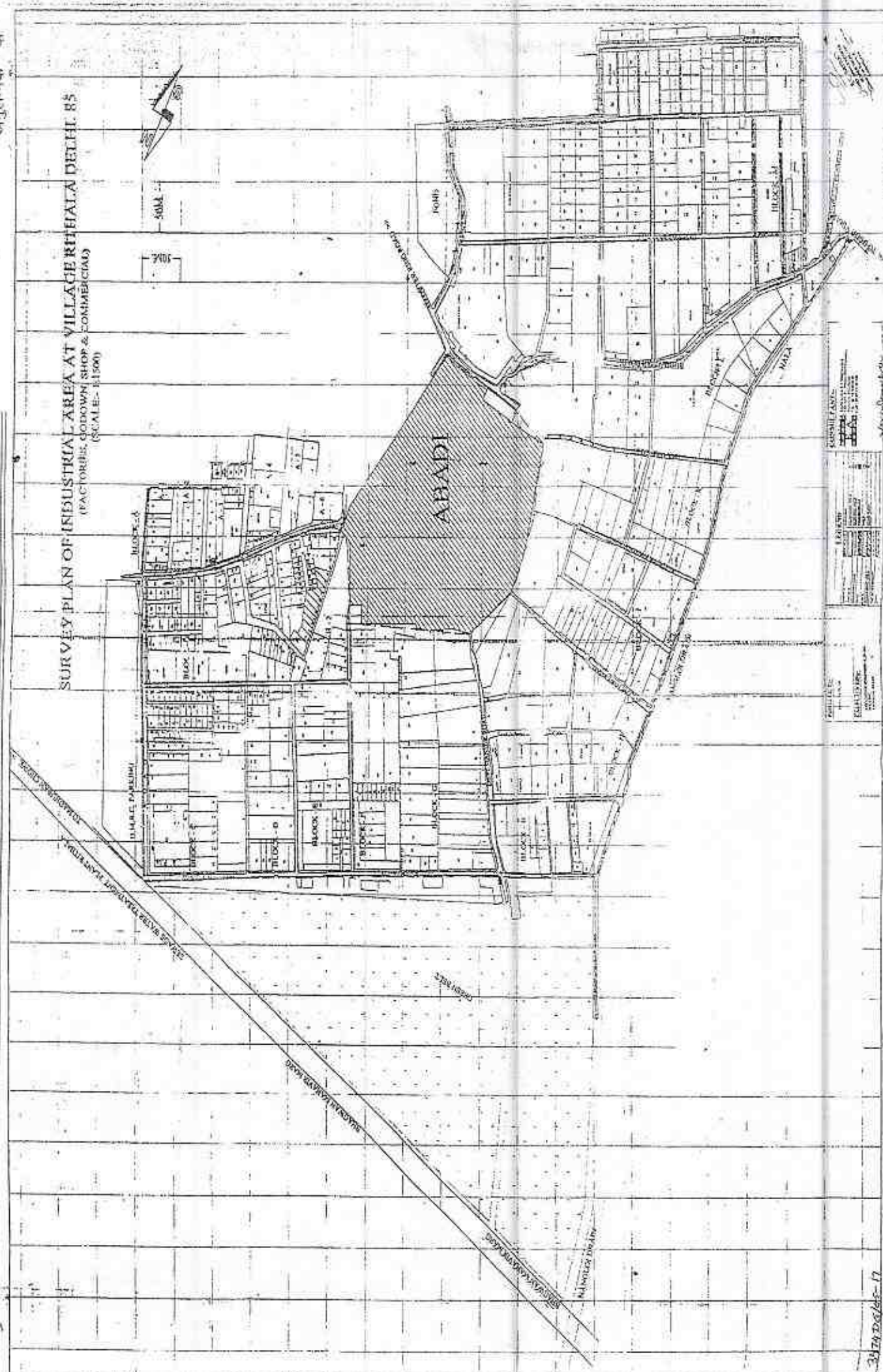
दक्षिण दालमिल रोड तथा जौहर लुती तेल मिल गली

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्चा अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

एस. सी. पोद्दार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)



3274 DG/LS-17

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर वादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70 से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हो, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोयायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

3474DG/05—18

- (i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।
- (ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोयायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।
- (iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।
- (iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।
- (vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
 - * न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।
 - * 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।
 - * 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।
 - * पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारम्प्य सतह।
 - * 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।
 - * सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।
 - * निम्नलिखित को तैयार करना:—
 - (क) पामिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।
 - (ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

- (vii) बाकों/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
- (viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :-

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

No. F. 1/C.1/Policy/INSITU/Rithala/2005/006/550.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Saraswati Vihar, the Industrial Cluster located at Rithala (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

EAST Plaza Road

WEST Nala (excluding in side village which is a abadi area)

NORTH Rohini road which goes to Madhuban Chowk

SOUTH Dal Mill Road and Tel Mill Gali Touching Johar

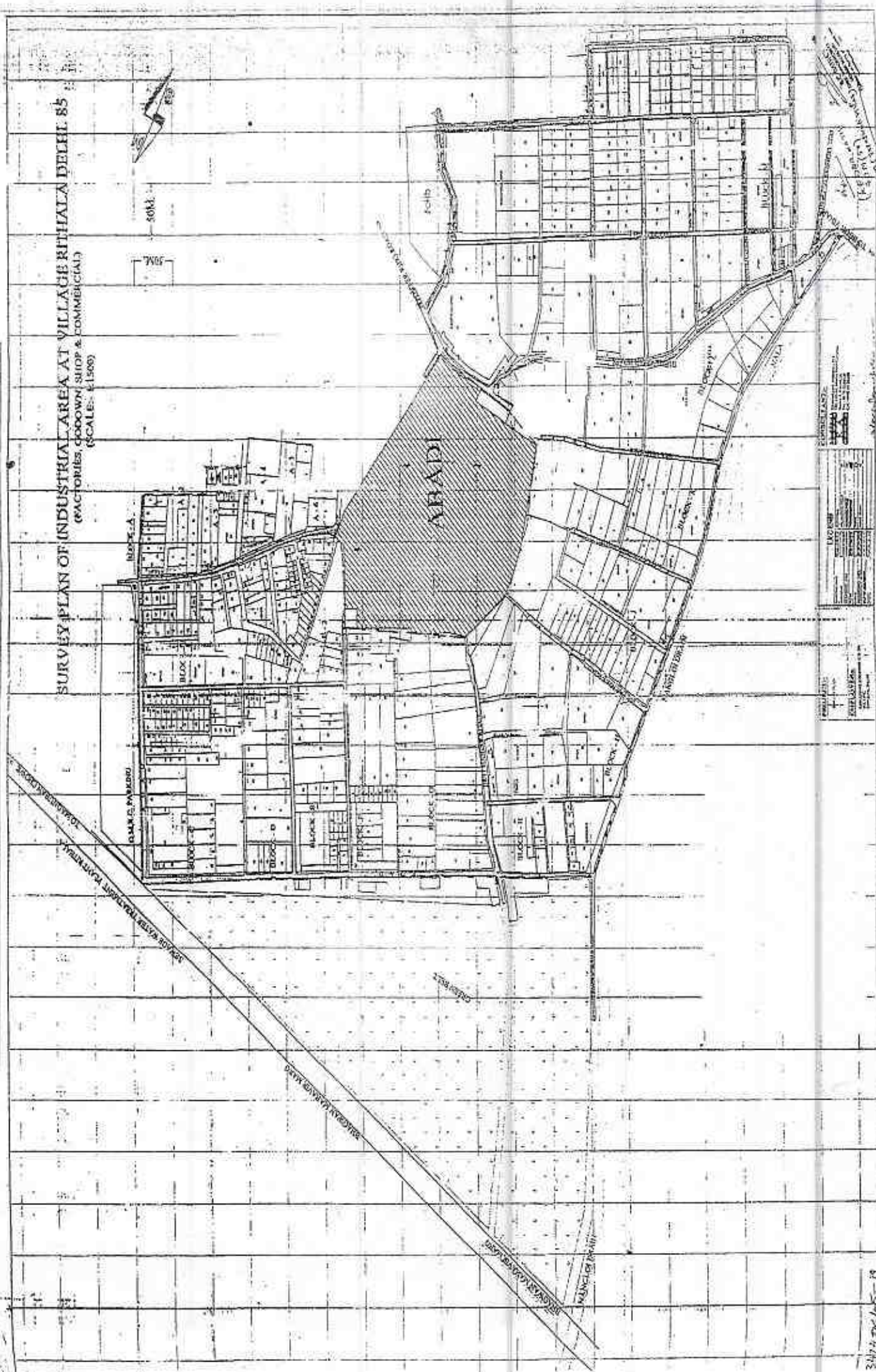
Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

SURVEY PLAN OF INDUSTRIAL AREA AT VILLAGERHIALA DECHL 85

(FACTORIES, GODOVN, SHOP & COMMERCIAL)
(SCALE: 1/500)



3424 DG/CS-19

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3), 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions :

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.
- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
- (vi) Other stipulations shall include—
 - * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m.) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms;
 - * Preparation of :
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
- (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ. 1/सी.आई./निति/इनसीडू/नवादा/2005/0007/551.—

यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पटेल नगर, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर नवादा स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस-पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व ओम विहार

पश्चिम मार्टन पब्लिक स्कूल

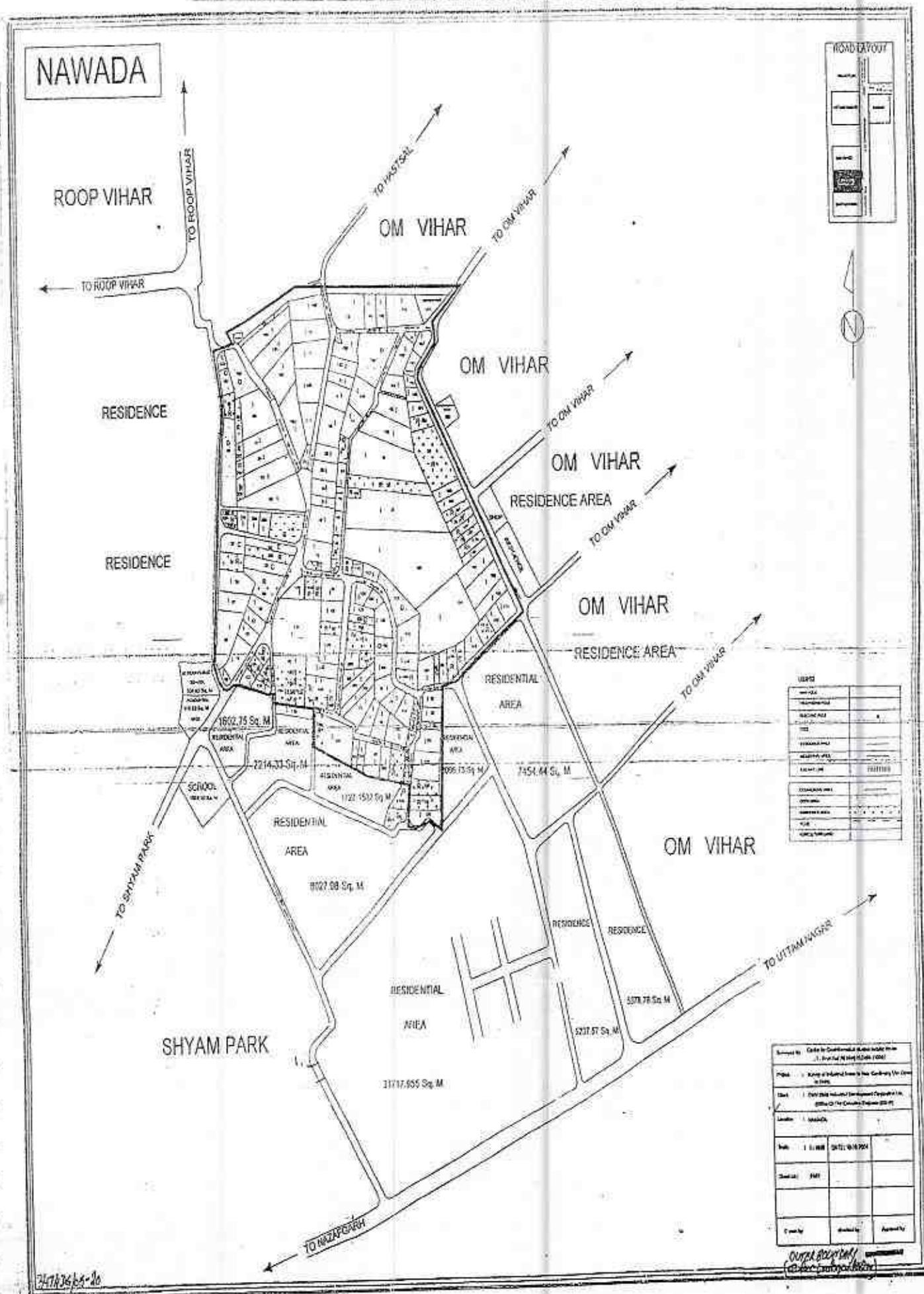
उत्तर ओम विहार

दक्षिण श्याम पार्क

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।



3478365-20

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन में बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समथपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हो, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

- (i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।
- (ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रख-रखाव के लिए सोयाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।
- (iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।
- (iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- * न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।
- * 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- * 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- * पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।
- * 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर के अधिक से भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदीवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।
- * सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना:—

- (क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण वर्ग जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

3474 DG/05—21

(vii) पार्को/ग्रॉन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(viii) अन्य प्रबंधन/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी संधि मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी ताल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा-की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण, फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, कर्षी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000 डीडीआइवी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.1/Policy/INSITU/Nawada/2005/007/551.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Patel Nagar, the Industrial Cluster located at Nawada (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries

East—Om Vihar

West—Modern Public School

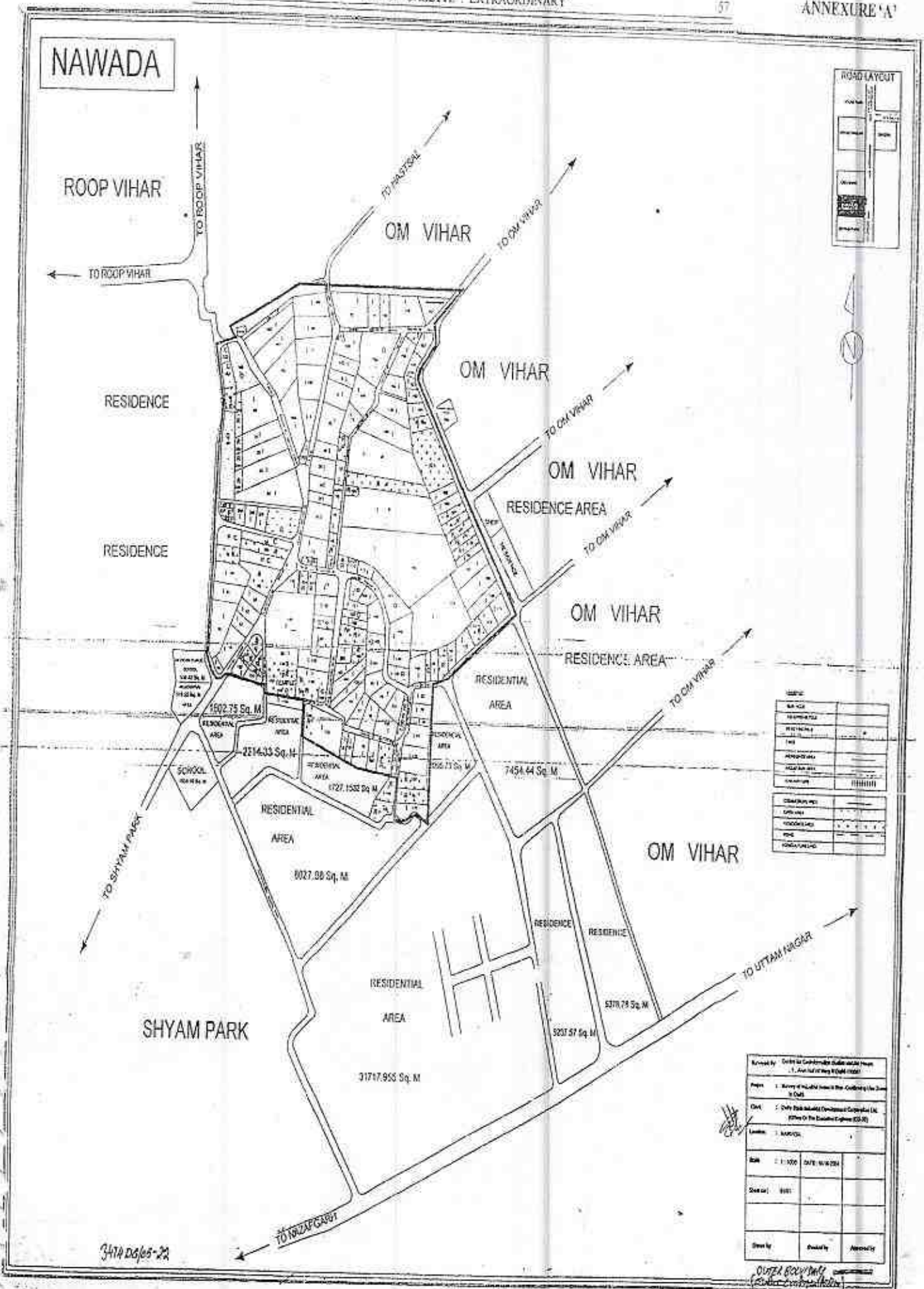
North—Om Vihar

South—Shyam Park

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.



Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification ;

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.

(ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulation shall include—

- * Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms;
- * Preparation of :
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

- (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy

सं. एक 1/सी.आई./नोति/इनसोर्ट/न्यू मंडोली/2005/008/552.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 11) की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार ने सहरा विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(1) को आगे के

तकपत्र (असधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है :

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं सीमापूरी उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर नई मंडोली स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न सेआऊट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से हैं, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व मंडोली रोड

पश्चिम प्रेम नगर

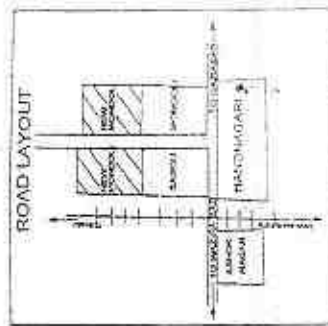
उत्तर उत्तर प्रदेश

दक्षिण सबोली गांव की
कृषि भूमि

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसको सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के तिलिखे संलग्न है।

[illegible]

347426-33

अनुसूचक

होना चाहता

समाप्त होना

दि

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11(क) की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपसंकरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रांत सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर-जवाली विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे पारिनिर्माणित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधिरूपरेखा वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों डीडीए अथवा सीआरटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से तैयार की जाएगी चले पर्यवेक्षण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की भागीदारी सहित की गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हों।

(i) समूह में कम से कम 15 मीटर मार्गाधिकार वाले सड़कें हो, जो चौड़ाई में 10 मीटर से अधिक हो सकेंगी।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण,

(iii) केवल अनुमोदित उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से औद्योगिक प्रदेयों को सौंपा है, को ही अनुमति दी जाएगी।

(iv) डाउंट प्रस्तर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के विज्ञापनों के प्रलेखन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

• न्यूनतम 10% क्षेत्र पारिधरण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

• 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

• 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

• पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

• 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए साइड पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग इकाइयों पर विचार के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मीटर) उपलब्ध कराया जाएगा।

• सीमेंटरी, सड़क स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

• निम्नलिखित को तैयार करना:—

(a) पार्किंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण तथा जल संग्रहण करने की व्यवस्था सहित दिल्ली जल प्राधिकरण के भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) में जल आपूर्ति के लिए योजना।

(b) आंतरिक जल आपूर्ति योजना विकास योजना।

(c) पार्कींग क्षेत्र व्यवस्था के तहत समूह क्षेत्र का 5% क्षेत्र पार्किंग के लिए आवंटित।

(d) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली राज्य:

3174 Dg/05—24

प्लान, 2001 के प्रापणों के अनुसार लगे होंगे।

भू-स्मितायों के आधार पर डीडीए को बकायों की समिति मन्कों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए मान नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, अराजित-संयोजित अंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी मरकामे समूह आवास सोसाइटीयों, सरकारी फ्लैट/कॉलोनी/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटीयों द्वारा अपने स्वयं पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का नियामन करती हैं तो वे अलग-अलग जमीनों से खोले प्रभाव तयकरेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, कच्ची क्षेत्रफल अनुपात (फ्लैट/आर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संकेत पुनर्गठन संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण संक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. प्र. 13011/322003 अ-प्रो/आइके]

(स. प्र. 13011/322003 अ-प्रो/आइके)

No. F. 1/C. 1/Policy/INSITU/New Mandoli/2005/008/552.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 341(F) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001.

And whereas the said notification provides that plots

that could be considered for redevelopment should have—

(a) minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only.

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seema Puri, the Industrial Cluster located at New Mandoli (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

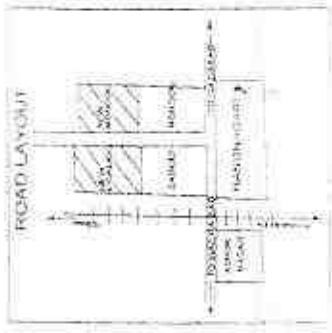
East	<u>Mandoli Road</u>	West	<u>Prem Nagar</u>
North	<u>Uttar Pradesh</u>	South	<u>Agricultural Land of Saboli Village</u>

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them within the time which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would be come available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

NEW MONDOLI

[illegible]

2474 DELOS-25

ANNEXURE-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulation shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms;
- preparation of :
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/ rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/ green buffer

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/Bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./निति/इनसीटू./शालामार गांव/ 2005/009/553.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः, नवन अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/ उपयोग वाले हों।

यतः, डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं माडल टाऊन, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर शालामार गांव स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 को उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व शालामार पार्किंग प्लेस और हरित पट्टी संलग्न 262 तथा 289

पश्चिम शालामार गांव संलग्न 1 से 18

उत्तर शालामार गांव संलग्न 156 तथा 158

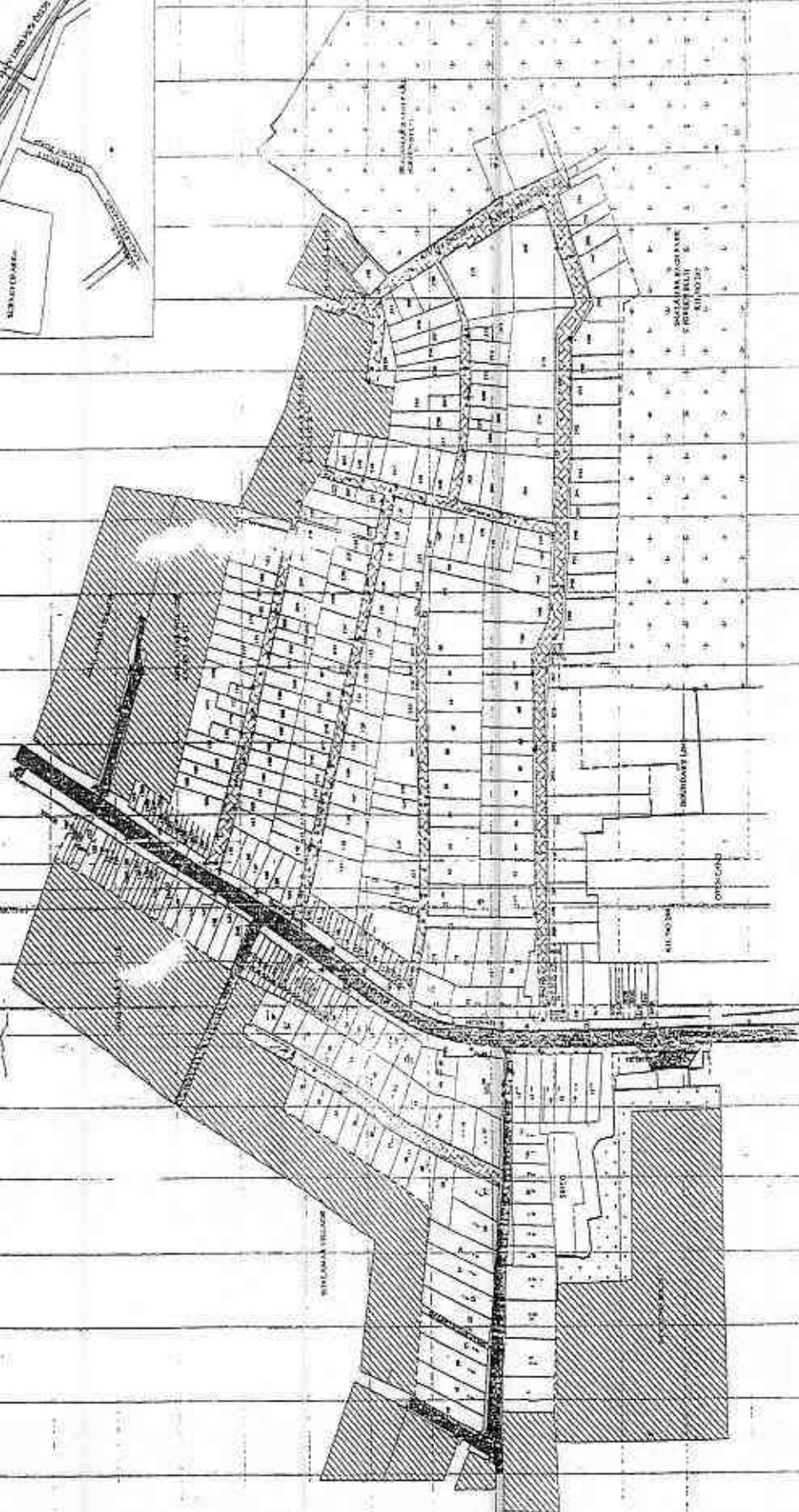
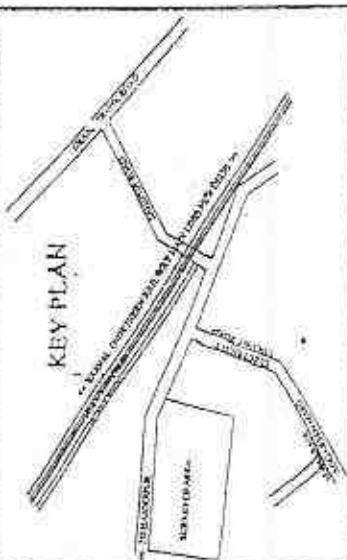
दक्षिण खुली भूमि खसरा नं. 288 संलग्न 325बी

अतः, अब, उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाइयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्ची अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाइयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के चंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

SURVEY PLAN OF VILLAGE SHALAMAR INDUSTRIAL AREA NEW DELHI. (FACTORIES, GODOWN, SHOP & COMMERCIAL) (SCALE: 1:1000)



PROJECT		CONSULTANTS	
NAME	ADDRESS	NAME	ADDRESS
PROJECT NO.	DATE	PROJECT NO.	DATE
ENGINEER	DATE	ENGINEER	DATE
DATE	DATE	DATE	DATE

1/11/14 D.S. 1/11/14

अनुलग्नक - ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यह, दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की भांति 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को अलाचारन राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा तथापि आर्पितियां/सूझाव उक्त सूचना को तारण से 30 दिन के अंदर आर्पित किए गए थे।

2. यह: प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आर्पितियां/सूझाव प्राप्त हुए थे और इन आर्पितियों तथा सूझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

"न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

- (1) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सौधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा सखरखाल के लिए सोयाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमोदित उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जाएगी।

(iv) ग्राहक फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लॉट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों से प्राप्त कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के विज्ञापनों के क्रियान्वयन भी अलग होगा।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- न्यूनतम 10% क्षेत्र परिध्रमाण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।
- 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10 अर्द्ध-पारगम्य सतह।
- 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए मांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु चिना चारदियारी के फ्रंट सेंट बैक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जाएगा।
- साईटीयों, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।
- निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण तथा जल संग्रहण करने को ज़रूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(ग) पार्कों/घोंग बंधन के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

3474 DG/05—27

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों से 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए फायर नहीं होंगे :—

बंगला जॉन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, उदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा-की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सांकाशी समूह आवास सोसाइटियों, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निवास द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2003-डीडीआईडी]

एस. मुंडडी, अपर सचिव

No. F. 1/C.I/Policy/INSITU/Shalamar Village/2005/009/553.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 7411 dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001,

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Model Town, the Industrial Cluster located at Shalamar Village (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East: Shalamar Parking Place & Green Belt Adjacent to 262 & 289 West: Shalamar Village Adjacent to 1 to 18

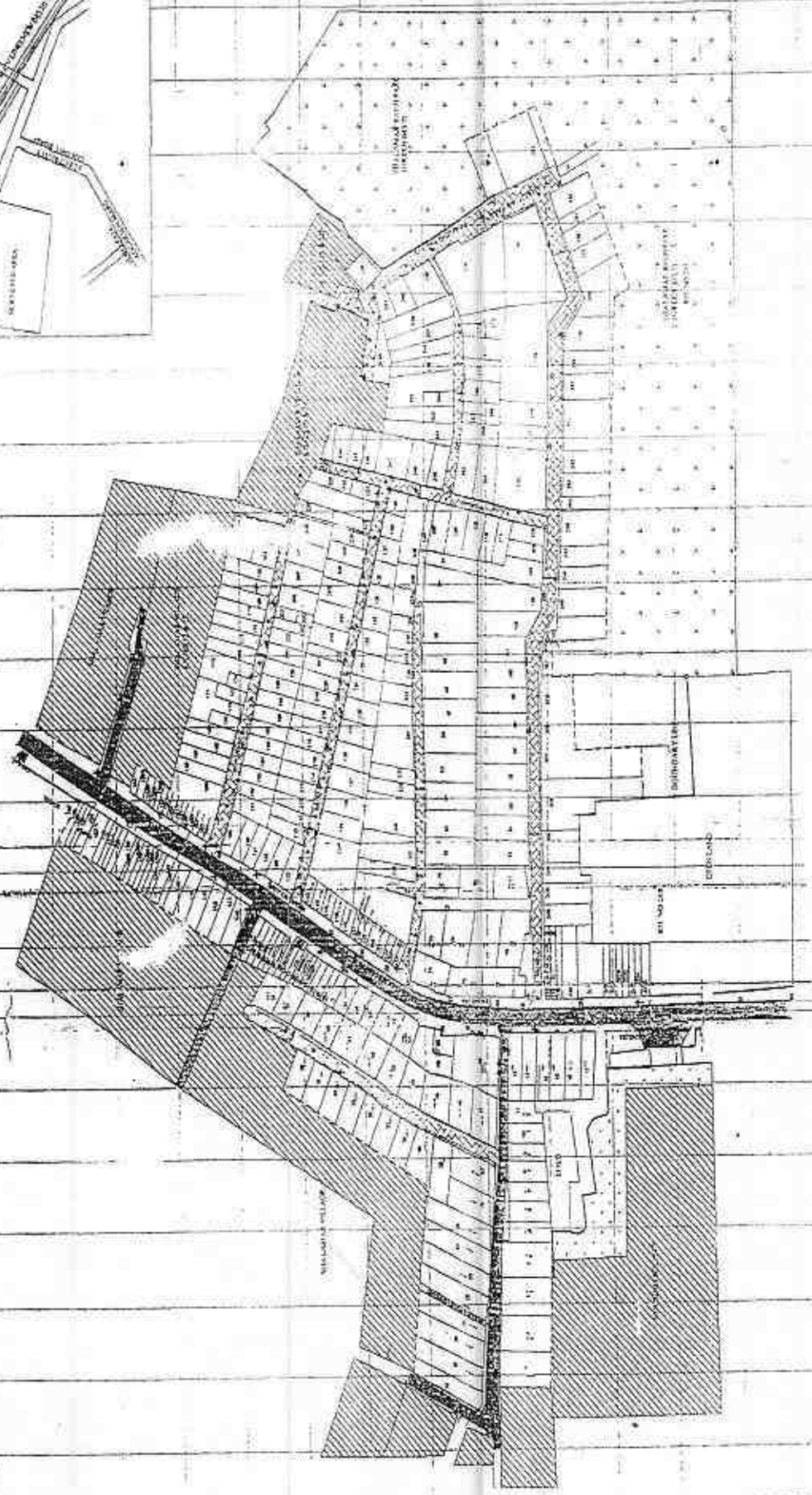
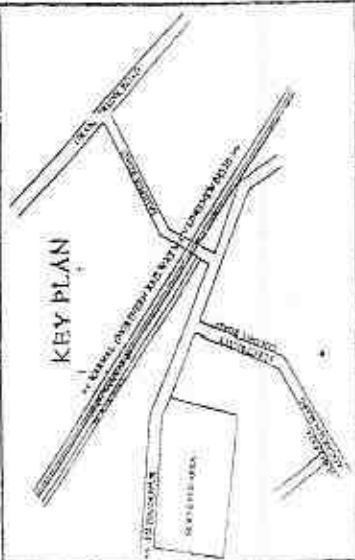
North: Shalamar Village Adjacent to 156 & 158 South: Open Land Kh. No. 288 Adjacent to 325-B

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

SURVEY PLAN OF VILLAGE SHALAMAR INDUSTRIAL AREA NEW DELHI.
(FACTORIES, GODOWN, SHOP & COMMERCIAL)
(SCALE: 1:1000)



GENERAL INFORMATION	
Project Name	Shalamar Industrial Area
Location	New Delhi
Scale	1:1000
Author	Survey of India
Date	1980

LEGEND	
Plot	1:1000
Road	1:1000
Building	1:1000
Godown	1:1000
Shop	1:1000
Commercial	1:1000

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

'Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.
- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.
- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.
- (vi) Other stipulation shall include—
 - Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
 - Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
 - Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
 - Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
 - Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
 - Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms;
 - preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
 - (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
 - (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi & civil Lines), the Ridge, river Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./नीति/इन्स्टीट्यूट/हस्तसल पाकेट डी/2005/010/554.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या गम ओ 7/11(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित वर्ग है उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह समूह क्षेत्र कम से कम न तोड़कर हो तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पटेल नगर, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर हस्तसल पाकेट डी स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस-पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—तालाब

पश्चिम—मोहन गार्डन

उत्तर—रिहायशी क्षेत्र हस्तसल

दक्षिण—हस्तसल विहार (नवादा रोड)

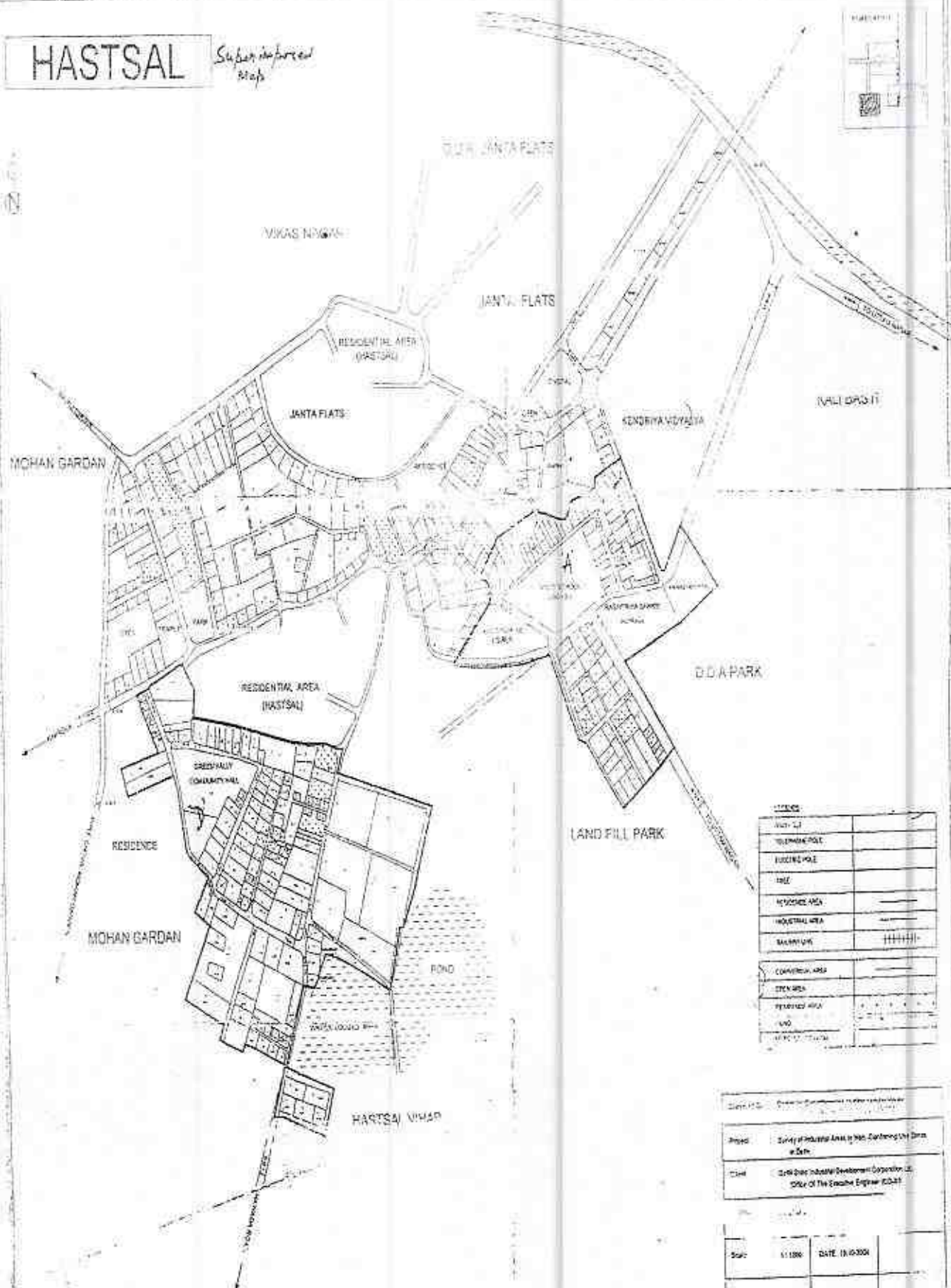
अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सचूना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आवंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न के लिये संलग्न है।

HASTSAL

Superior process



WATER	
TEMPERATURE	
FLOODING MOLE	
TREE	
AGRICULTURE AREA	
INDUSTRIAL AREA	
BARRIERS	
CORRIDORS AREA	
OPEN AREA	
RESTORED AREA	
LAND	
REMARKS	

Project	Study of Industrial Areas in 1980, Continuing the Data in 1981		
Client	Gulf Oil Industrial Development Corporation Ltd. Office of The Executive Engineer (IO-2)		
Scale	1:1000	DATE	19.10.2004
Order by	Director	Signature	Signature

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. ० का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हो, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डॉडिंग अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाए जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य संक्षेप एजेंसियों का कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 15 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से आधा घड़ौला हो।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रदूषण

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसायटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10 अर्द्ध-पारमण्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारद्वारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जाएगा।

* मॉडिटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पारंपरिक स्टेशनों, भंडारण टैंकों, मूलजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जगहों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(ग) पारंपरिक जल के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(घ) अन्य आवश्यक विकास नियंत्रण मानदण्ड आदि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

3479 DG/05 -3-

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकी में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लेट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी प्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.1/Policy/INSITU/Hastsal Pkt.-D/2005/010/ 554.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, with Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi, 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Patel Nagar, the Industrial Cluster located at Hastsal (D-Pocket) (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East : Pond

West : Mohan Garden

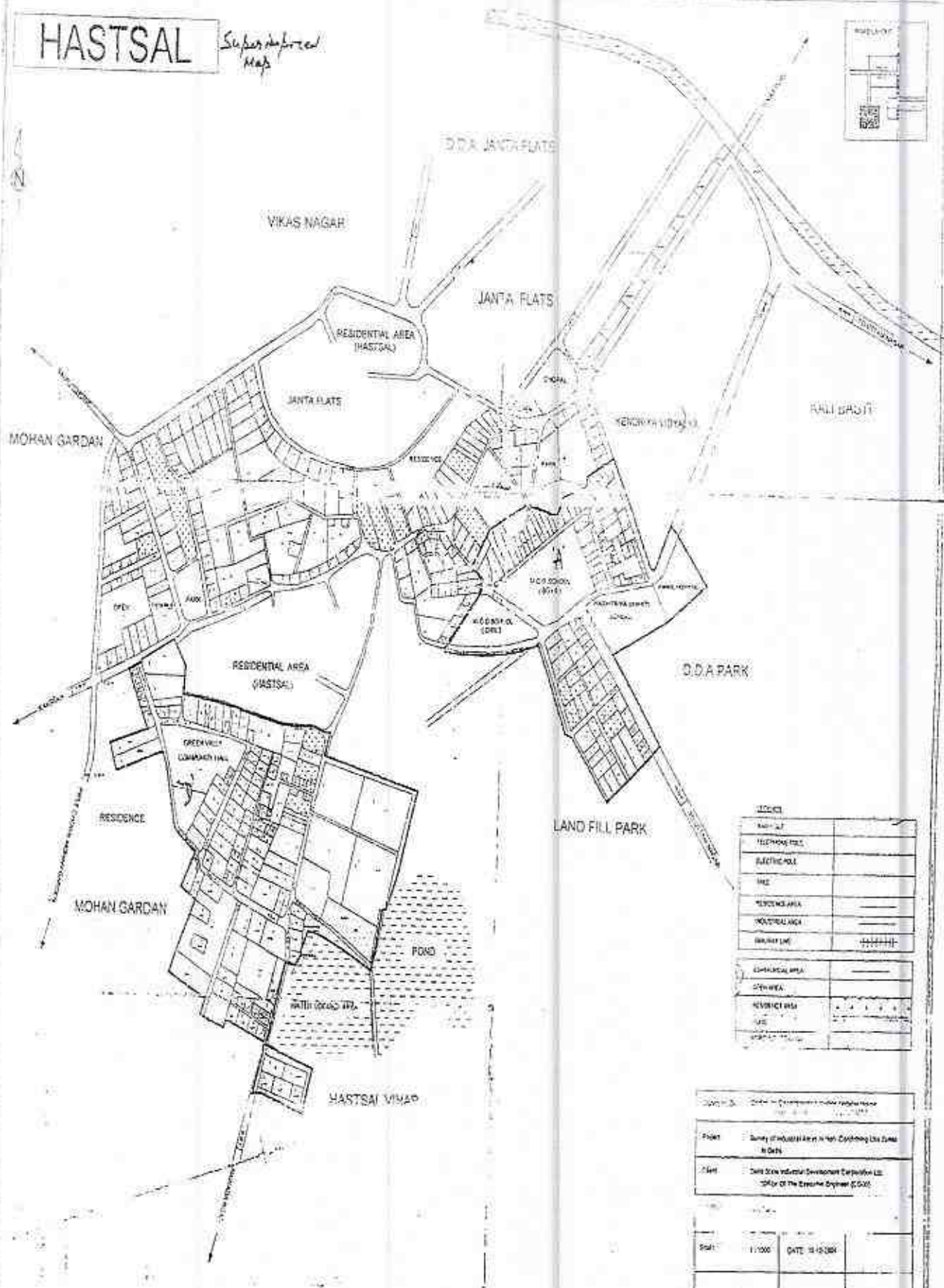
North : Residential Area Hastsal

South : Hastsal Vihar (Nawada Rd.)

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

HASTSAL*Superimposed Map*

LEGEND	
RAILWAY	
TELEPHONE POLE	
ELECTRIC POLE	
WELL	
RESIDENTIAL AREA	
INDUSTRIAL AREA	
RAILWAY LINE	
COMMERCIAL AREA	
OPEN AREA	
RECREATIONAL AREA	
WATER	
RAILWAY STATION	

Project Title	
Survey of Industrial Areas in Hastals Catchment Area	
Client	
Delhi State Industrial Development Corporation Ltd.	
Office of the Executive Engineer (C-200)	
Scale	
1:1000	DATE: 15-10-2014
Drawn by	
Checked by	
Approved by	

34/74/2014/15-31

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification No. S.O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi, 2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions;

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulation shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading-unloading areas.
- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. from set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms.
- Preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

[No. K-13011/5/2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एक 1/सी.आई./नीति/इनसीडू./खाला/ 2005/011/555.—यह: दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्ट प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यह: उक्त अधिसूचना में प्रबोधन है कि जिन समूहों में निम्नलिखित नाम हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह संत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यह: डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पटेल नगर, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर ख्याला स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—रघुनीर नगर

पश्चिम—विष्णु गार्डन

उत्तर—नजफगढ़ डेन

दक्षिण—विष्णु गार्डन

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाइयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निवास/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरों को देनी होगी।

यहाँ निर्माण इकाइयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आर्बटन का लाभ उठाया है उन्हें आर्बटन प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लॉट के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

KHAYALA

KHAYALA

PASCHIM VIHAR

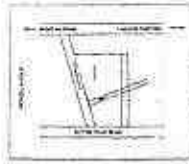
MAOI PUR

TAGORE GARDEN

CHAND NAGAR

INDIA

RESTORATION OF MAOI



Sl. No.	Name of the Person	Address	Signature	Date
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31, मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लाट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हो, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसाइटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

- (i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

3474 DG/05—33

- (ii) पुनर्विकास कानूना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

- (iii) केवल अनुमति प्राप्तियों, जिनमें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जाएगी।

- (iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों को अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (v) सभी इकाईयों की डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

- (vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

• न्यूनतम 10% क्षेत्र पारंपरण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

• 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

• 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

• पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-परगम्य सतह।

• 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जाएगा।

• सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

• निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पार्किंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जगहों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार), से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

- (vii) पार्कों/ग्रॉन्ड फफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियों के आधार पर खोड़ीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए भाग नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी प्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार बसूँगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, करों/क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईडी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.I/Policy/INSITU/Khyala/2005/011/555.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(F) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001.

And whereas the said notification provides that clus-

ters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Patel Nagar, the Industrial Cluster located at Khyala (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. boundaries

East Raghubir Nagar

West Vishnu Garden

North Najafgarh Drain

South Vishnu Garden

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

KHAYALA



MAADI PUR

PASCHIM VIHAR

1970-1975

KHAYALA

TAGORE GARDEN

CHAND NAGAR

Sl. No.	Name of the person	Address	Signature
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

Sl. No.	Name of the person	Address	Signature
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification No. S.O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Samaypur-Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi 2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions :

(i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW

(ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate

tate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulation shall include—

• Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.

• Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

• Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

• Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

• Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

• Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms;

• Preparation of :

(a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.

(b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms up to 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, river Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एक 1/सी.आई./नीति/इनसीडू./पीरागढ़ी गांव/2005/012/556.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 741(अ) द्वारा भारत के राजपथ (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रवधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्त्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पंजाबी बाग, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर पीरागढ़ी गांव स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस-पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : आऊटर रिंग रोड

पश्चिम : मियांवाली नगर

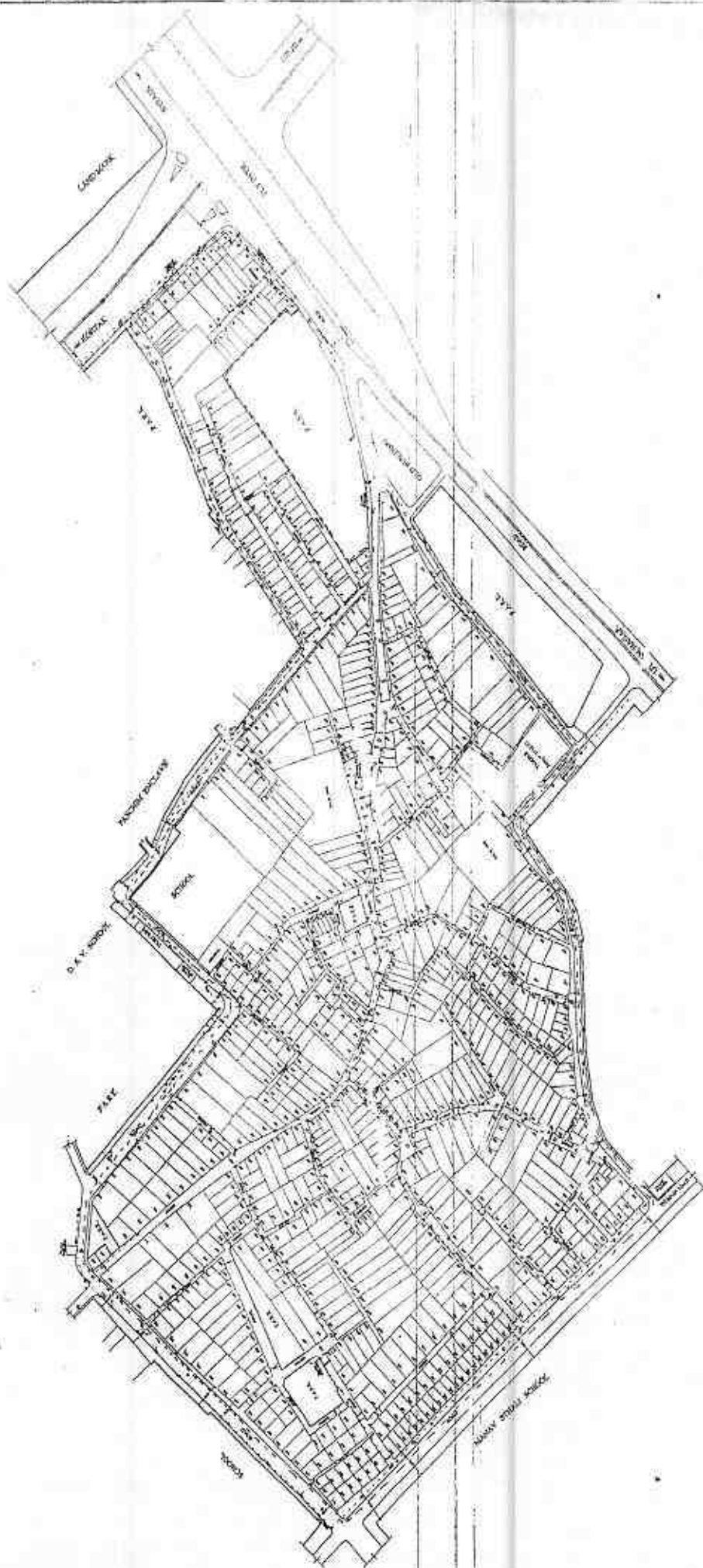
उत्तर : रोहतक रोड

दक्षिण : बेहरा एन्क्लेव कालोनी

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थायी निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसका दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सख्तिपूर्वक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को भूतः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लॉट के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।



FRANKLIN, D. W. 1979. *Journal of the American Water Resources Association* 15:103-114.

Journal of Management Education 36(8)

1000

11412

1999

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

111

113

1999

11

33

1111

11

अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 126 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर बादली—विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लान निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 15 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन,

3474.DG/AS—36

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सीमा द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लानों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों की डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

● न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

● 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

● 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

● पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

● 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु चिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

● साइडिंग, मच-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पब्लिक चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

● निम्नलिखित को तैयार करना:—

(a) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण जल जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(b) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(c) पार्किंग क्षेत्र के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(d) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। भू-स्थितियाँ

के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10% प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी मइकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रसार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत से वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी मुद्दाले संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथानिर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईके]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.I/Policy/INSITU/Peeragarhi Village/2005/012/ 556.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi, 2001:

And whereas the said notification provides that clus-

ters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) More than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Punjabi Bagh, the Industrial Cluster located at Peeragarhi Village (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East: Outer Ring Road

West: Mianwali Nagar

North: Rohtak Road

South: Bhera Enclave Colony

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (Industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

Annexure 'B'

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

(i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.

(ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulation shall include

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.

- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

- Preparation of

(a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging rainwater harvesting.

(b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks green buffer.

(viii) Other provisions development control norms etc shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme.

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government Flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

[No. K-13011/5/2000-DDAB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एक 1/सी.आई./नीति/इनसीटू./लिबासपुर/2005/013/557. — मूल: दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की भाग 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन किये हैं।

यह उक्त अधिसूचना में यथावत है कि विभिन्न समूहों में निर्माणित औद्योगिक इकाइयों का पुनर्विकास किया जा सकता है।

यह संशोधन और क्रमशः प्रत्येक इकाई के लिए लागू होगा।

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं नरीला, उपसंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर लिबासपुर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस-पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जावेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व-गली न 6 लिबासपुर

पश्चिम-सिरसपुर

उत्तर-जीवन पार्क

दक्षिण-लिबासपुर रोड यादव नगर

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाइयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विधानों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्चा अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाइयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंदन का लाभ उठाया है उन्हें आबंदित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बंद किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्नक किया जाता है।

LIBASPUR



अनुलग्नक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं० 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समग्रपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, वन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसाइटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो—

- (i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।
- (ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्रांडिड प्लॉट एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाईयों को डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- * न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।
- * 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- * 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।
- * पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।
- * 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए संलग्न पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चादबंदी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।
- * सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।
- * निम्नलिखित को तैयार करना:—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, पंझरण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(ग) पार्कों/ग्रीन बेल्ट के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(घ) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

3474 DG/05—33

भू-सिद्धियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जेन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा-को दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लॉट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी प्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह तथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के. 13011/5/2000-डीडीआईसी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.1/policy/INSITU/Libaspur/2005/013/557.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001:

And whereas the said notification provides that clus-

ters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Narela, the Industrial Cluster located at Libaspur (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. boundaries

East Gali No. 6 Libaspur

West Siraspur

North Jeevan Park

South Libaspur Road Yadav Nagar

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

LIBASPUR

A

JEVANI PARK

SIRASPUR

SIRASPUR

YADAV NAGAR

LIBASPUR VILLAGE

SEMI-V.P.P.

INDRA BANGSHI RUSHI TAL.

RAILWAY LINE

1:50,000

SECTION	REMARKS
LIBASPUR	1. LIBASPUR
LIBASPUR	2. LIBASPUR
LIBASPUR	3. LIBASPUR
LIBASPUR	4. LIBASPUR
LIBASPUR	5. LIBASPUR
LIBASPUR	6. LIBASPUR
LIBASPUR	7. LIBASPUR
LIBASPUR	8. LIBASPUR
LIBASPUR	9. LIBASPUR
LIBASPUR	10. LIBASPUR
LIBASPUR	11. LIBASPUR
LIBASPUR	12. LIBASPUR
LIBASPUR	13. LIBASPUR
LIBASPUR	14. LIBASPUR
LIBASPUR	15. LIBASPUR
LIBASPUR	16. LIBASPUR
LIBASPUR	17. LIBASPUR
LIBASPUR	18. LIBASPUR
LIBASPUR	19. LIBASPUR
LIBASPUR	20. LIBASPUR
LIBASPUR	21. LIBASPUR
LIBASPUR	22. LIBASPUR
LIBASPUR	23. LIBASPUR
LIBASPUR	24. LIBASPUR
LIBASPUR	25. LIBASPUR
LIBASPUR	26. LIBASPUR
LIBASPUR	27. LIBASPUR
LIBASPUR	28. LIBASPUR
LIBASPUR	29. LIBASPUR
LIBASPUR	30. LIBASPUR
LIBASPUR	31. LIBASPUR
LIBASPUR	32. LIBASPUR
LIBASPUR	33. LIBASPUR
LIBASPUR	34. LIBASPUR
LIBASPUR	35. LIBASPUR
LIBASPUR	36. LIBASPUR
LIBASPUR	37. LIBASPUR
LIBASPUR	38. LIBASPUR
LIBASPUR	39. LIBASPUR
LIBASPUR	40. LIBASPUR
LIBASPUR	41. LIBASPUR
LIBASPUR	42. LIBASPUR
LIBASPUR	43. LIBASPUR
LIBASPUR	44. LIBASPUR
LIBASPUR	45. LIBASPUR
LIBASPUR	46. LIBASPUR
LIBASPUR	47. LIBASPUR
LIBASPUR	48. LIBASPUR
LIBASPUR	49. LIBASPUR
LIBASPUR	50. LIBASPUR
LIBASPUR	51. LIBASPUR
LIBASPUR	52. LIBASPUR
LIBASPUR	53. LIBASPUR
LIBASPUR	54. LIBASPUR
LIBASPUR	55. LIBASPUR
LIBASPUR	56. LIBASPUR
LIBASPUR	57. LIBASPUR
LIBASPUR	58. LIBASPUR
LIBASPUR	59. LIBASPUR
LIBASPUR	60. LIBASPUR
LIBASPUR	61. LIBASPUR
LIBASPUR	62. LIBASPUR
LIBASPUR	63. LIBASPUR
LIBASPUR	64. LIBASPUR
LIBASPUR	65. LIBASPUR
LIBASPUR	66. LIBASPUR
LIBASPUR	67. LIBASPUR
LIBASPUR	68. LIBASPUR
LIBASPUR	69. LIBASPUR
LIBASPUR	70. LIBASPUR
LIBASPUR	71. LIBASPUR
LIBASPUR	72. LIBASPUR
LIBASPUR	73. LIBASPUR
LIBASPUR	74. LIBASPUR
LIBASPUR	75. LIBASPUR
LIBASPUR	76. LIBASPUR
LIBASPUR	77. LIBASPUR
LIBASPUR	78. LIBASPUR
LIBASPUR	79. LIBASPUR
LIBASPUR	80. LIBASPUR
LIBASPUR	81. LIBASPUR
LIBASPUR	82. LIBASPUR
LIBASPUR	83. LIBASPUR
LIBASPUR	84. LIBASPUR
LIBASPUR	85. LIBASPUR
LIBASPUR	86. LIBASPUR
LIBASPUR	87. LIBASPUR
LIBASPUR	88. LIBASPUR
LIBASPUR	89. LIBASPUR
LIBASPUR	90. LIBASPUR
LIBASPUR	91. LIBASPUR
LIBASPUR	92. LIBASPUR
LIBASPUR	93. LIBASPUR
LIBASPUR	94. LIBASPUR
LIBASPUR	95. LIBASPUR
LIBASPUR	96. LIBASPUR
LIBASPUR	97. LIBASPUR
LIBASPUR	98. LIBASPUR
LIBASPUR	99. LIBASPUR
LIBASPUR	100. LIBASPUR

Surveyed by: <i>[Signature]</i> Date: <i>[Date]</i>	
Project: <i>[Project Name]</i> Client: <i>[Client Name]</i> Location: <i>[Location]</i> Scale: <i>[Scale]</i> Date: <i>[Date]</i>	Prepared by: <i>[Name]</i> Checked by: <i>[Name]</i> Approved by: <i>[Name]</i>

[Handwritten notes and signatures]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification:

The following shall be added after (3) 6 Sharnapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

*Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub Station, Pump House, Fire Station, Police post etc. as per the norms.
- Preparation of—
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging, rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme—

Bungalow Zones (Near Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals,

sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc, and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/S 2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./नॉर्त्/इनसीटू./नरेश पार्क एक्स/ 2005/014/558.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का ओ 2470/सी.आई. द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मन्त्रालय-2005 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रवधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित वर्ग हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पंजाबी बाग, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर नरेश पार्क एक्स०, नांगलोई दिल्ली-41 स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आगे पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : लक्ष्मी पार्क कालोनी

पश्चिम : नजरगढ़ नांगलोई रोड

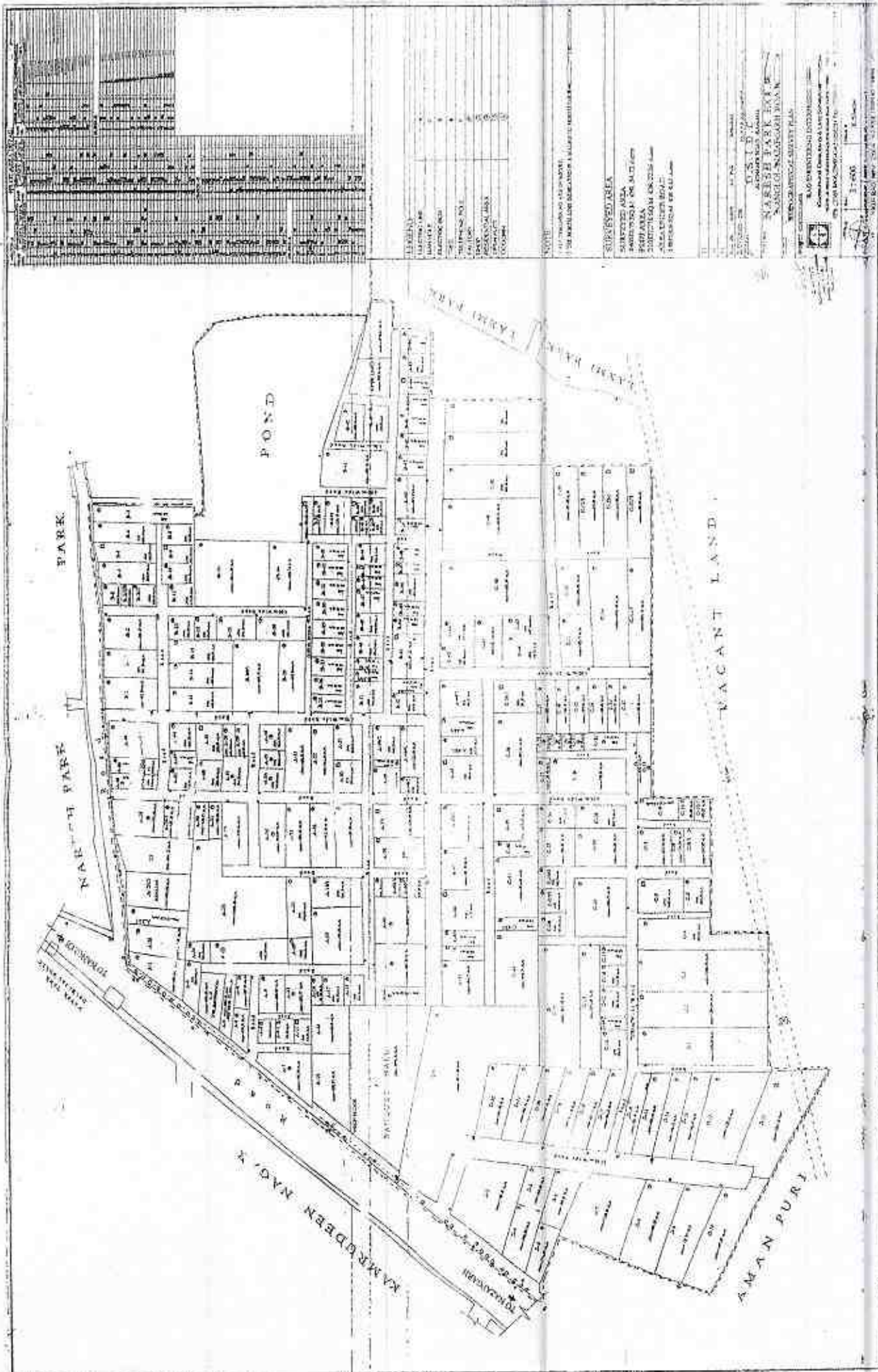
उत्तर : फिरनी रोड, गांव नांगलोई

दक्षिण : अन्य कालोनी

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निम्नलिखित इकाइयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और वह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डीडीए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सर्वाधिक पर्याप्त तथा अन्य विभागों में अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सचुता अधोःस्तुतरी की देनी होगी।

सभी निर्माण इकाइयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने का योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आवंटन का लाभ उठाया है उन्हें आवंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उद्योग प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।



अनुलग्नक-‘ख’

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यह दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आर्पित किए गए थे।

2. यह प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर खादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे. सतह क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लाट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डोडोए अथवा सोयापटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी वहाँ पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुँचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन,

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोलाहवीं द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्रामेंड ब्लॉक एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों को अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लैट उद्योगों के लिए प्लाटी के और विभाजन अथवा फ्लोकरिंग कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी तकियावा, खासगोरी तथा ग्यानीय निकायों सहित कम्प्लीट अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

- 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

- 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

- पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

- 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जाएगा।

- मोईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

- निम्नलिखित भी तैयार करना:—

(i) पाम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण वर्षा जल संग्रहण करने की प्रकृतियों सहित दिल्ली जल बोर्ड केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ii) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(iii) पार्किंग/ग्रैन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(iv) अन्य प्रावधानों/विधायन नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। भू-स्थितियों के अध्ययन पर डोडोए की तकनीकी समिति मानकों में

3474DG/05—42

10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपाद (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह यथानिर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईवी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.1/policy/INSITU/Nareish Park Ext./2005/014/ 558.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section 92) of Section 11-a of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for redevelopment should

have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/ use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Punjabi Bagh, the Industrial Cluster located at Nareish Park Ext. Nangaloi, Delhi-41(layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East: Laxmi Park Colony

West: Najafgarh, Nangloi Road

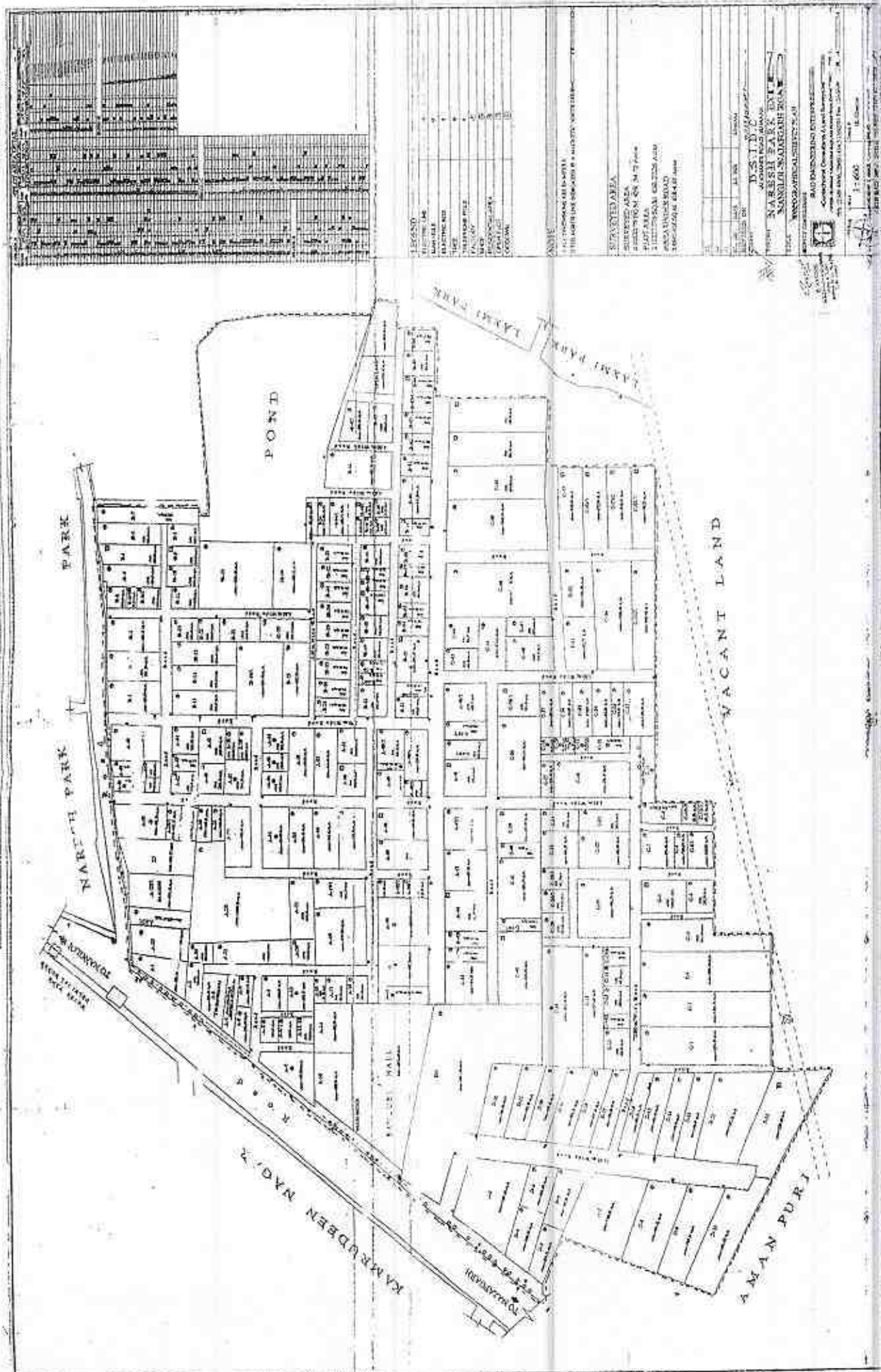
North: Phirni Road of Village Nangloi

South: Other Colony

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.



Annexure-B.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

“Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions :

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

- (vi) Other stipulation shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms;
- Preparation of:

- (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.

- (b) Drainage plan as per norms

- (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

- (viii) Other provisions development control norms etc shall be applicable as per provisions of MPD 2001

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms up to 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :-

Bungalow Zones (New Delhi & civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./नीति/इनसीडू./हस्तसाल पाकेट ए/ 2005/016/559.—यतः, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741(ई) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः, उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः, डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार एवं पटेल नगर, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर हस्तसाल पाकेट ए स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस-पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—डी डी ए पार्क

पश्चिम—वृंदावन पब्लिक स्कूल

उत्तर—केन्द्रीय विद्यालय

दक्षिण—लैण्डफिल पार्क

अतः, अब, उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्चा अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट तापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिये संलग्न है।

Superimposed Maps



VIKAS NAGAR

DN7A FLATS

RESIDENCE: ASTA

DATA FILE

2011/2012

MOHAN GARDEN

REDUCTION AREA

DDA PARK

LAND FILL PARK

MOHAN GARDAN

HARTS:41 22430

Model No.	
TELEPHONE POLE	
ELECTRIC POLE	
TYPE	
TELEPHONE AREA	
ELECTRIC AREA	
STREET NAME	11111111
COUNTY AND STATE	
ZIP AREA	
STREET ADDRESS	
NAME	

EXHIBIT D	Exhibit D - General Information regarding the Request
Project	Study of Industrial Areas in High-Growth/High-Use Zones in Davis
Client	State of the Industrial Development Corporation Ltd. Office of the Executive Engineer (P&D)
Scale	1" = 1 MI DATE: 10-10-2004
Drawn By	Reviewed By
Approved By	Approved By

अनुसूचक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

का.आ. 741(अ).—यतः, दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना का.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर खाटली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतह क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेंद्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण मार्गबन्ध/उपक्षेप वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना में जोड़ने वाले क्षेत्रों की सीमा, क्षेत्र का योगांतर, (आवधिक द्वारा बनाई जाने वाली) तथा दिल्ली सरकार विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी जहाँ पर्यावरण तथा अन्य संलग्न पर्यावरणों का ध्यान संवर्धन की गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा सड़क आ सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण,

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा सुरक्षा के लिए संसाधन इस मद पर कम आवंटित होंगे।

(iii) केवल अनुमेष उद्योगों, जिनमें टोपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमोदित हो पाएंगे।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर दो औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन यातायातकोचरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी उद्योगों का कारखाना तथा स्थानीय निकासों सहित कच्ची अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के चिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध मार्गमय प्लॉट।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सीधा पार्किंग उपलब्ध कराया जाएगा जो कम से कम 60 वर्ग मीटर से अधिक की भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारद्वारों के पूरे गेट क्षेत्र। न्यूनतम 3 मीटर उपलब्ध कराया जाएगा।

* सौईटींग, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसे आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित की तैयार करना:—

(क) पार्किंग स्टेशनों, स्टोरेज टैंकों, भूजल पुनर्भरण योजना का संयोजन करने की जरूरतों सहित दिल्ली का नई केन्द्रों में भूजल प्राधिकरण (अनुसूचित) में कम आवंटित के लिए योजना।

(ख) भूखण्डों के अनुसार जल विकास योजना।

(ग) पार्कींग क्षेत्रों के लिए मार्ग क्षेत्र का क्षेत्र क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।

(घ) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

3474 D6/05 — 45

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए को तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लेट्स्, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियाँ, सरकारी प्लैट/जंगल/निर्बोद्धक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियाँ पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वहलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, पक्की श्रेयफुल अक्विल (पक्क्यावर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना आवश्यक होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निचलाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समूह तथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और वे नियोजित समूहों में पसराए जा रहे इकाई बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना वे नियोजित क्षेत्रों में कोई नये लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के. 130/11/5/2005 डी.डी.आई.]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. U/C/Policy/INSITU/Hastal Pkt.-A/ 2005/016/ 559.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S.O. 741(E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clau-

ters that could be considered for redevelopment should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/ use only.

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Patel Nagar, the Industrial Cluster located at Hastal (Pocket-A) (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

East DDA Park

West Vrindavan Public School

North Kendriya Vidyalaya

South Landfill Park

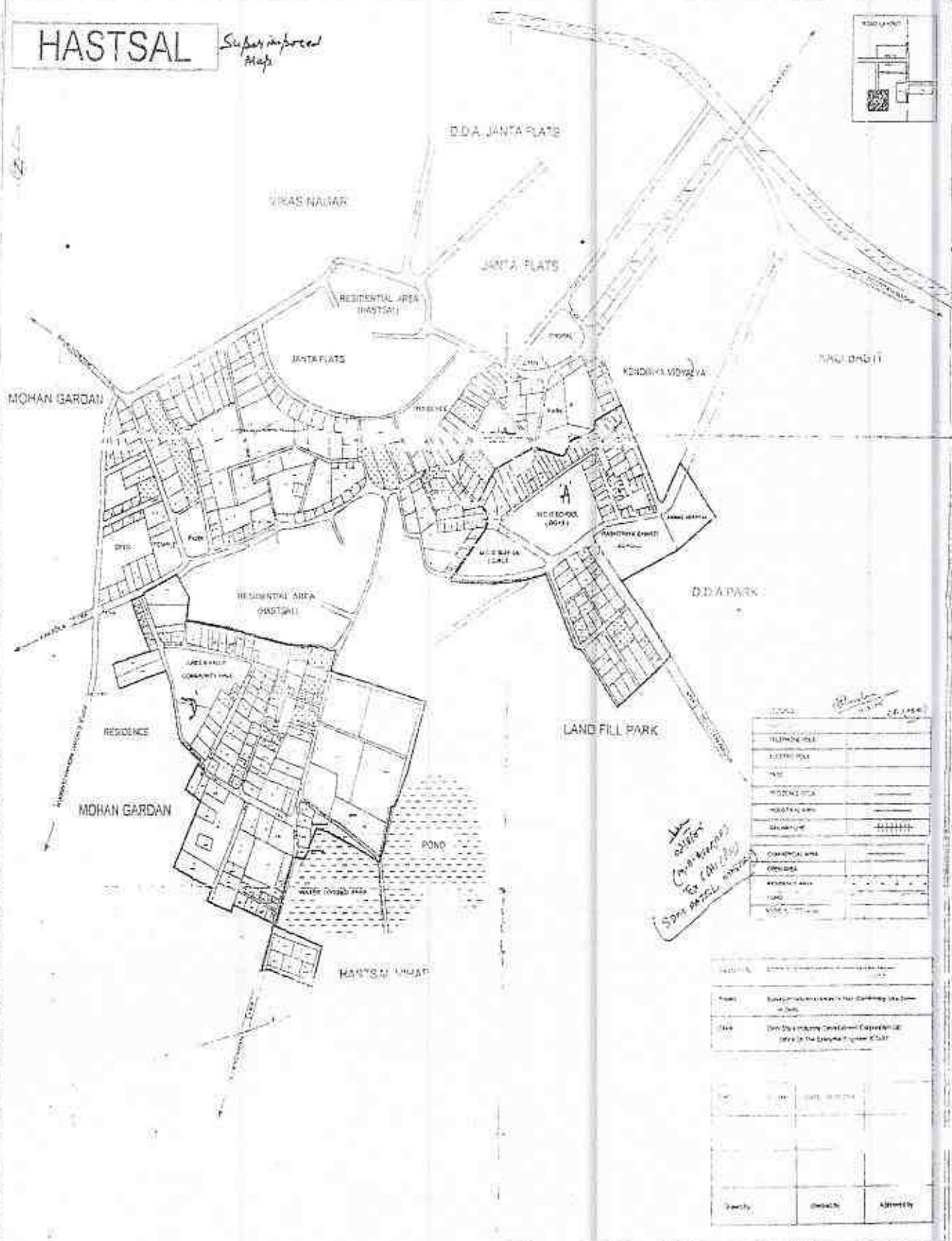
Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred to above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

HASTSAL

Superimposed Map



Symbol	Description
	Telephone Pole
	Electric Pole
	Road
	Residential Area
	Commercial Area
	Industrial Area
	Public Area
	Water Supply Area
	Pond
	Other

Symbol	Description
	Telephone Pole
	Electric Pole
	Road
	Residential Area
	Commercial Area
	Industrial Area
	Public Area
	Water Supply Area
	Pond
	Other

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra Ordinary Gazette Notification No. S.O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of the Notification in the Gazette of India.

Modification :

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi, 2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan/pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

- (iv) industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

- (vi) Other stipulation shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation roads/service lanes.

- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms;

- Preparation of:

- (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging, rainwater harvesting.

- (iii) Drainage plan as per norms.

- (iii) 8% of the cluster area shall be reserved for periphery group buffer.

- (iv) Other provisions development control norms shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private co-operative group housing societies, Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

[No. K-13041/5-2000-DDA]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

सं. एफ 1/सी.आई./निति/इतसीटू./सुल्तानपुर माजरा/ 2005/017/560.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 की 61) की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या एस ओ 741 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली गान्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि (अ) समूहों में निम्नलिखित प्लान है उन्हें पुनर्विकास के लिये विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निमाण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सरस्वती विहार, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर सुल्तानपुर माजरा स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जायेगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व—सी आर पी एफ कैम्प, डीडीए मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र और डब्ल्यू ब्लॉक मंगोलपुरी पार्क एण्ड कनेक्टिंग 30 मी० चौड़ा रोड मंगोलपुरी।

पश्चिम—नाला

उत्तर—नाला

दक्षिण—खुला तथा बाद की रेलवे लाईन

अतः अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निम्नलिखित इकाईयों को प्लाटद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आम कार्यवाही करेगी, जिसकी दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संबंधित पर्यवेक्षण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सच्चा अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निमाण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आवंटन का लाभ उठाया है उन्हें आवंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निमाण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लॉट के लिये निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न के लिये संलग्न है।

अनुसूचक-ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मई, 2005

को.आ. 741(अ).—यतः, दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना को.आ. सं. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3 अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं० 125 (दिल्ली मास्टर प्लान 2001) की बायीं तरफ (3) "समयपुर यादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है:—

न्यूनतम 4 हेक्टे० सतत दोर वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/अवकाश वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानों निकासी/डोडोए अथवा सोपायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाले) द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएंगी यशस्वी पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हों।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाले सड़क से सौधा मध्या जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन,

3474 DG/05—48

सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रख-रखाव के लिए सीमाद्वी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमोदित उद्योगों, जिन्हें डोपेस्टेसी से स्वीकृत प्रदान को पई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) शायद प्लॉट संख्या पर ही औद्योगिक कार्यवालापों की अनुमति दी जायेगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लॉट उद्योगों के लिए प्लाटों के और विभाजन तथा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(v) अभी इकाईयों को डोपेस्टेसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाईयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भू-खण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भू-खण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अक्षे पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भू-खण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारों के फ्रंट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी०) उपलब्ध कराया जायेगा।

* मोर्टेगोरी, राक-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि सेवा अवस्थापना आवश्यकताओं के निहा मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र को न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को विचार करना:—

(क) प्रसिध्द स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण जल संचयन करने की संरचना सहित दिल्ली जन कोई केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षापूर्वक) में जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) सड़कद्वी के अनुसार जल निकासी योजना।

(ग) यशस्वी ग्रीन बेल्ट के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(घ) अन्य अवकाश/विकास निर्माण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार रूनी होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी संसिद्धि मानकी में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास क्षेत्रों के लिए पात्र नहीं होंगे :-

अंगुला जॉन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नयी तल (जोन 2), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हेरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल, दिल्ली विकास प्राधिकरण फोरम, निजी सहकारी समूह, किसान सीसाइंटिया, सरकारी फ्लैट/खंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सीसाइंटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संवेधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार व्ययेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्श क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत से वृद्धि (जहां भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानाध्य निकाय द्वारा इसके लिए निर्धारित समग्र-सोमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जो समग्र यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों में लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर-नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईडी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. F. 1/C.3/Policy/INSITU/Sultan Pur Mazra/2005/017/ 560.— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, vide Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification No. 244(1) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary made in this regard the Master Plan for D.D. 2001;

And whereas the said notification provides that all plots that could be considered for redevelopment should

have—

(a) minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) more than 70% of the plots within the area (industrial cluster) should be under manufacturing activity/ use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-divisional Magistrate Saraswati Vihar, the Industrial Cluster located at Sultan Pur Mazra (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May, 2005.

A. Boundaries

EAST CRPF Camp, DDA Mangol Puri Industrial Area and W Block Mangol Puri Park and Connecting 30 mtrs wide Road of Mangol Puri

WEST Nala

NORTH Nala

SOUTH Open and thereafter Railway

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of redevelopment plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to the undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the redevelopment scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development notification dated the 31st May, 2005 referred above is annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

SURVEY PLAN OF VILLAGE SULTAN PUR MAJRA

(FACTORIES, GODOWN, SHOPS/RESIDENTIAL & COMMERCIAL)

(SCALE 1:1000)



PROJECT:

Survey of Village

EMPLOYER:

ANANDI KANDHARAN
BANGALURU

LEGEND

INDUSTRIAL AREA	1
RESIDENTIAL PLOT	2
ROAD	3
RAILWAY LINE	4
WATER BODY	5
OPEN SPACE	6
BOUNDARY	7
SETBACK	8
PLANTATION	9
WATER BODY	10
OPEN SPACE	11
BOUNDARY	12
SETBACK	13
PLANTATION	14

CONSULTANT:

ANANDI KANDHARAN & ASSOCIATES
PLOT NO. 11, MANGOL PUJI
BANGALURU - 560011
TEL: 25111111
FAX: 25111111

25/11/12

(Signature)
(Date)

Annexure-B

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extra-ordinary Gazette Notification S.O. No. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11 A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations, The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of the Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli-Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution

control and environmental management, development of services and parking and maintenance.

- (iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

- (iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

- (v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

- (vi) Other stipulation shall include—

- Minimum 10% area is to be reserved for circulation-roads service lanes.

- Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

- Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

- Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

- Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

- Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Station, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

- Preparation of

- (a) Plan for water supply from DDB/Central Ground Water Authority (wherever required) alongwith requirement for pumping station, storage tanks, ground water recharging, rainwater harvesting.

- (b) Drainage plan as per norms.

- (vi) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/greenbelts.

- (vii) Other provisions like development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme :—

Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies, Government flats/bungalows/employer housing, etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges for change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority, Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 1347]
No. 1347]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1640(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 की सा.आ.सं. 2415 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया; और

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-सी में आने वाले निम्नलिखित 4 प्रस्तावों का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार है :

क्र. सं.	स्थान	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि उपयोग (दि.भू.उ. 2021)	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमाएं
1.	समथपुर बादली का गेज भाग	42.5 हेक्टे.	आवासीय	औद्योगिक (एम० : विनिर्माण)	उत्तर: रेलवे रोड दक्षिण: संजय गांधी ट्रॉसपोर्ट नगर पूर्व: समथपुर बादली औद्योगिक क्षेत्र पश्चिम: उत्तर रेलवे लाइन (अम्बाला को)

2.	जहांगीर पुरी के निकट मुकरबा चौक पर कब्रिस्तान	1.0 हेक्टर.	उपयोगिता (यू-3 ईएसएस)	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधा (पीएस 1:कब्रिस्तान)	उत्तर: बाहरी रिंग रोड दक्षिण: संजय एन्कलेव से सटा हुआ शापिंग परिसर पूर्व: विद्यमान ईएसएस पश्चिम: जी.टी. करनाल रोड
3.	समूहमंडल खेल-2010 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी कैंपस में खेलकूद सुविधाएं और सहायक संरचना	5.78 हेक्टर.	मनोरंजनात्मक (पी2 : जिला पार्क)	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पी एस 3 खेल सुविधाएं/परिसर/स्टेडियम/ खेल केन्द्र)	उत्तर: जी.सी. नारंग मार्ग दक्षिण: श्रेया मिश्रा मार्ग पूर्व: विश्वविद्यालय मार्ग पश्चिम: मेघदूत होस्टेल के निकट कावेरी लेन
4.	चन्द्रावल वाटर वर्क्स में अग्नि शमन केन्द्र	1.00 हेक्टर.	उपयोगिता (यू 1: जल शोधन संयंत्र)	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक (पी एस 1 अग्नि शमन केन्द्र)	उत्तर: चन्द्रावल वाटर वर्क्स दक्षिण: चन्द्रावल वाटर वर्क्स पूर्व: बाहरी रिंग रोड पश्चिम: चन्द्रावल वाटर वर्क्स

[फा. सं. के-13011/11/2012-डीडीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O.1640(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2415(E) dated 5th October, 2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following 4 proposals falling in Zone-C as per description listed below:-

Sl. No.	Location	Area in Ha.	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1.	Left over part of Samaipur Badli	42.5 Ha.	Residential	Industrial (M1: Manufacturing)	North: Railway Road South: Sanjay Gandhi Transport Nagar East: Samaipur Badli, Industrial Area West: Northern Railway Line (To Ambala)
2.	Graveyard at Mukarba Chowk near Jahangirpuri	1.0 Ha.	Utility (U-3 ESS)	Public and Semi Public Facility [PS-1 Burial Ground (Graveyard)]	North: Outer Ring Road South: Shopping Complex adjoining Sanjay Enclave East: Existing ESS West: G.T. Karnal Road
3.	Sports facilities and associated infrastructure at North Campus, Delhi University for Common Wealth Games-2010	5.78 Ha.	Recreational (P2: District Park)	Public and Semi-Public (PS3- Sports Facilities/ Complex/ Stadium/ Sports Centre)	North: G.C. Narang Marg South: Shreya Mishra Marg East: Vishwavidyalaya Marg West: Cavalry Lane near Meghdoot Hostel
4.	Fire Station at Chandrawal Water Works	1.00 Ha.	Utility (U1: Water Treatment Plant)	Public and Semi Public (PS1: Fire Station)	North: Chandrawal Water Works South: Chandrawal Water Works East: Outer Ring Road West: Chandrawal Water Works

[F. No. K-13011/11/2012-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.